सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

वन अधिकार समिति के सदस्यों हेतु

मार्गदर्शिका

FES

FOUNDATION FOR ECOLOGICAL SECURITY

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

समर्थन

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

वन अधिकार समिति के सदस्यों

हेतु

पठन सामग्री

FES

FOUNDATION FOR ECOLOGICAL SECURITY

छत्तीसगढ शासन

सत्यमेव जयते

स म र्थ न

प्रस्तावना

भारत राज्य वन प्रतिवेदन 2019, के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 23.38 प्रतिशत हिस्सा वनक्षेत्र हैं, वही यदि छत्तीसगढ़ राज्य के परिपेक्ष्य में देखे तो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,35,191 वर्ग किलोमीटर हैं जो पूरे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.1% हैं, जिसका 44.21 प्रतिशत हिस्सा अर्थात 59,772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं। कुल वन क्षेत्र में से 25,786 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 24,034 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन एवं 9,952 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन आच्छादन की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर हैं, परन्तु हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2019 के द्वारा जारी एक शोध प्रतिवेदन में बताया गया की छत्तीसगढ़ राज्य में 2015 से 2019 के दौरान वनक्षेत्र की 3,793.05 हेक्टेयर वन भूमि को विभिन्न गैर-वानिकी कार्यों के लिए डायवर्ट किया गया जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि वन क्षेत्र तीव्रता से घट रहे हैं, और आने वाले समय में वनों पर संकट की स्थिति पैदा हो सकती हैं। इस संकट को परिकल्पित कर बहुत पहले ही भारत सरकार द्वारा "वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006" को लागू किया गया था, और वनों में निवासरत अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गयी। वन अधिकार अधिनियम में मुख्य रूप से पांच प्रकार के अधिकार व्यक्तिगत अधिकार, विकास मूलक अधिकार, पर्यावास अधिकार, सामुदायिक अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए, जिसमें सामुदायिक अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के अंतर्गत वनों में निवासरत समुदायों,

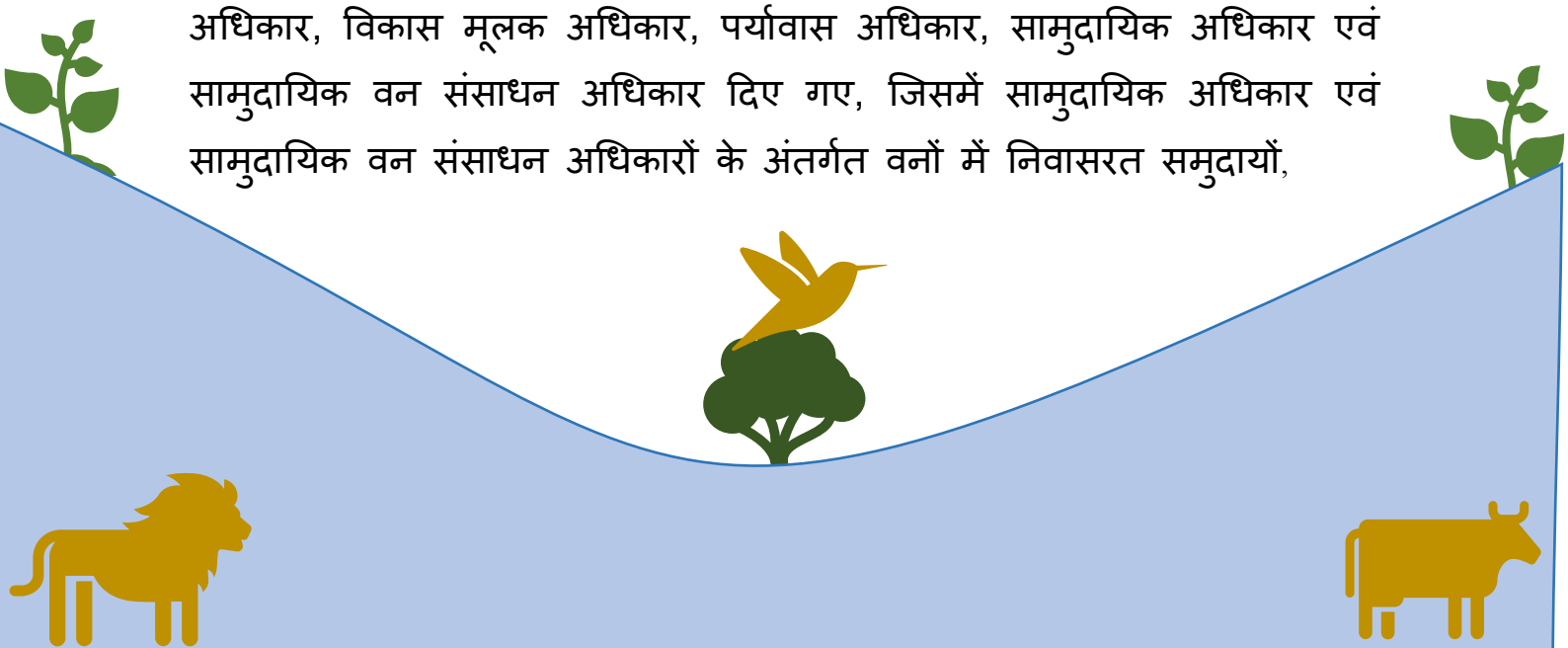

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों , कृषि पूर्व समुदायों, अनुसूचित जनजातीयों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों जो वर्षों से वनों में निवास कर रहे हैं उन्हें वनों को सुरक्षित, पुनरूज्जीवित, संरक्षित एवं प्रबंधित करने की जिम्मेदारी दी गयी ,परन्तु अधिनियम में निहित प्रावधानों के बारे में जानकारी के अभाव और जागरूकता की कमी के चलते ये जनजातियाँ वनों पर अपने अधिकार एवं वनों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से अनभिज्ञ रही, इसी दिशा में विभिन्न गैर सरकारी संगठन कई वर्षों से वन अधिकार अधिनियम के सक्रिय क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा वन अधिकार समितियों के गठन और उन्हें सक्रिय करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि समितियां ग्राम सभा के माध्यम से वन संसाधनों पर सामुदायिक रूप से अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा करने में सक्षम हो सकें और इस दिशा में कार्य कर सकें, परन्तु उचित जानकारी के अभाव में ये वन अधिकार समितियां दावा प्रक्रियाओं के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं हो पाई हैं। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी संस्था के साथ मिलकर समर्थन इंटीग्रेटेड एक्शन डेवलपमेंट कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में वन अधिकार समिति के सदस्यों को वनों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने और वन अधिकार समितियों के सशक्तिकरण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, इसी क्रम में समर्थन द्वारा वन अधिकार समिति के सदस्यों के लिए पठन सामग्री विकसित की गयी हैं, ताकि इसके माध्यम से इन समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें जागरूक, सशक्त एवं सक्षम बनाया जा सकें।

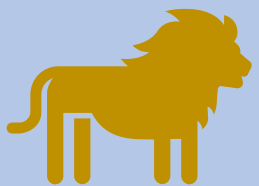

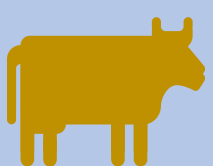

पुस्तिका के बारे में संक्षिप्त परिचय

ग्राम सभा स्तर पर वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी के आभाव, वन भूमि के प्रकारों के संबंध में अस्पष्टता तथा वन और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के प्रभाव के कारण सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से सम्बंधित दावों की प्रक्रिया ग्राम स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पा रही जिससे वन में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, कृषि पूर्व समुदायों , वन में निवासरत अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जिसके अंतर्गत वन संसाधनों तक पहुँच एवं उनके उपयोग के अधिकार से वंचित हो गए हैं , अतः इन अधिकारों तक उनकी पहुँच, वन संसाधनों की सुरक्षा , पुनरुज्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन करने एवं इन जनजातियों को जागरूक करने के उद्देश से फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी एवं समर्थन के संयुक्त तत्वाधान से अधिनियम अंतर्गत गठित वन अधिकार समिति के लिए पठन सामग्री विकसित की गयी जिससे समिति को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता के लिए दावा करने एवं संसाधनों पर अधिकार प्राप्त करने हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकें जो अंततः समिति के सशक्तिकरण में योगदान देगी, अतः इस पुस्तिका को समिति के प्रत्येक सदस्यों तक पहुचानें की मुहीम की शुरुआत की जा चुकी हैं ।

विषय सूची

भाग- वन अधिकार कानून का प्रारंभिक परिचय		
101	वन अधिकार अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
102	वन अधिकार अधिनियम का परिचय	3
103	वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ	4
104	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण	6
105	वन अधिकार कानून से जुड़ी जरुरी बाते	12
भाग-2 वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत ग्राम सभा		
201	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ग्राम सभा	13
202	ग्राम सभा की भूमिका	16
203	ग्राम सभा का कोरम	17
204	ग्राम सभा आयोजन की प्रक्रिया	19
205	ग्राम सभा में भागीदारी	22
206	ग्राम सभा का दस्तावेजीकरण	23
भाग-3 सी. एफ.आर. आर और सी.आर. की मान्यता के लिए प्रक्रिया		
301	मान्यता प्रक्रिया का प्रथम चरण	26
302	मान्यता प्रक्रिया का दूसरा चरण	31
303	मान्यता प्रक्रिया का तीसरा चरण	32
304	मान्यता प्रक्रिया का चौथा चरण	33
305	मान्यता प्रक्रिया का पांचवा चरण	35
306	मान्यता प्रक्रिया का छटवां चरण	36
307	मान्यता प्रक्रिया का सातवाँ चरण	37
308	मान्यता प्रक्रिया का आठवां चरण	38
309	मान्यता प्रक्रिया का नौवां चरण	39
310	मान्यता प्रक्रिया का दसवां चरण	41
311	मान्यता प्रक्रिया का ग्यारहवां चरण	44
312	मान्यता प्रक्रिया का बारहवां चरण	45
भाग-4.वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार समिति		
401	वन अधिकारों अधिनियम , 2006 अंतर्गत समितियां	46
402	वन अधिकार समिति की भूमिका	48
403	समिति के बैठकों का संचालन	50
404	समितियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज	65

भाग-5. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत संस्थागत ढांचा		
501	अधिनियम अंतर्गत विभिन्न स्तर की समितियां	70
502	उपखंड स्तरीय समिति एवं उनके कार्य	71
503	जिला स्तरीय समिति एवं उनके कार्य	73
504	राज्य स्तरीय निगरानी समिति एवं उनके कार्य	75
भाग-6. मैदानी हितधारकों की भूमिका		
601	महत्वपूर्ण हितधारक एवं उनकी भूमिका	77
602	शासन के मैदानी अमलों की भूमिका -वनरक्षक	85
603	शासन के मैदानी अमलों की भूमिका-पटवारी	88
604	शासन के मैदानी अमलों की भूमिका-पंचायत सचिव	90
605	सत्यापन समूह	92
भाग-7. दावों के सम्बन्ध में दस्तेवेजों की तैयारी		
701	दस्तावेजों की तैयारी	93
702	पारंपरिक सीमा	102
703	निस्तार	103
704	नजरी नक्शा	105
705	बुजुर्गों का कथन	107
706	सीमावर्ती ग्रामों से अनापत्ति एवं सहमती पत्र	109
707	वन अधिकारों के निर्धारण के लिए साक्ष्य	110
भाग-8. स्थल जाँच सत्यापन, एवं ज़ी.पी.एस. एवं ग्राम सभा में संकल्प पारित करना		
801	स्थल जाँच प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व	112
802	दस्तावेजों के समेकन हेतु समिति की बैठक/प्रस्ताव की तैयारी	115
803	विवादों की स्थिति में सीमावर्ती ग्राम सभा के साथ संयुक्त सम्मलेन	117
804	अनुविभागीय समिति में दावा प्रस्तुत करने की तैयारी	119

अध्याय-प्रथम

वन अधिकार कानून का प्रारंभिक परिचय

101-वन अधिकार अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

102-वन अधिकार अधिनियम का परिचय

103-अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएं

104-अधिनियम के अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण

105-कानून से जुड़ी जरुरी बातें

101: वन अधिकार अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में वनों का इतिहास

- ब्रिटिश शासनकाल के पहले जमींदारों, मालगुजारों एवं राजाओं के कार्यकाल में जंगल के उत्पादों तक सभी लोगों की समान रूप से पहुंच थी। उस समय जंगल का उपयोग व्यवसायिक अथवा आय की दृष्टि से नहीं किया जाता था।
- वर्ष 1858 में अंग्रजों के भारत आने पर उनके द्वारा जंगल एवं लकड़ी को व्यापार की वस्तु के रूप में देखा गया।
- वर्ष 1864 में अंग्रजों द्वारा वन विभाग बनाया गया, इसके साथ ही 1865 में भारतीय वन अधिनियम बना कर जंगल को सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई।
- इस अधिनियम के आने से जंगल पर लोगों के सामुदायिक उपयोग और प्रबंधन के अधिकार ख़त्म हो गए। लोगों को जलावन लाने के लिए भी वन विभाग की अनुमति लगने लगी
- इसके विरोध में देश भर में कई तरह के आदिवासी विद्रोह हुए जिससे घबरा कर अंग्रेजों ने 1874 में अनुसूचित जिला अधिनियम बना कर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को पांचवी अनुसूची में जोड़ा एवं उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जहाँ पर कोई भी कानून लागू करने से पहले गवर्नर (राज्यपाल) की अनुमति अनिवार्य कर दी गई ।
- देश में बढ़ते विरोध के कारण अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में भारतीय वन अधिनियम का कड़ाई से पालन करना भी कम कर दिया ।
- बड़े-बड़े आंदोलनों के बाद 1988 में भारत की वन नीति में पहली बार जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का जंगल पर प्रथम अधिकार माना गया और कहा गया कि वन विभाग लोगों के साथ मिलकर जंगल का प्रबंधन करेगा ।
- इसी सोच के साथ गाँव-गाँव में संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनाई गयी; परन्तु इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और लोगों के जंगल पर अधिकारों मे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यह समितियां दिखावे मात्र के लिए रह गई ।

- 1996 के गोदावर्मन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जब वन विभाग से देश के जंगल पर हुए अतिक्रमण की जानकारी मांगी तो मानो भूचाल सा आ गया। वन विभाग ने न्यायालय के डर से जंगल से लोगों को हटाना शुरू कर दिया।
- इसमें वर्षों से रह रहे आदिवासी और अन्य निवासी सभी शामिल थे । करीब 10 लाख लोगों को इस मुहीम में जंगल से हटा दिया गया और इस प्रक्रिया में करीब 3,000 लोगों की मौत भी हो गयी ।
- विभिन्न आंदोलनों के बाद लोगों के अधिकार को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए वन अधिकारों की मान्यता कानून बनाया गया जिसे वर्ष 2005 में संसद में पारित किया गया ।
- इस कानून में लोगों के जंगल में सभी प्रकार के अधिकार, जिसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामुदायिक वन संसाधन और पर्यावास (रहवास) के अधिकार भी शामिल है, इन सभी अधिकारों को वन विभाग और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जोड़ा जाना शुरु कर दिया गया
- इस कानून को और अच्छे से लागू करने के लिए 2008 में इसके अंतर्गत कई नियम भी बनाये गए, जिन्हें 2012 में संशोधित भी किया गया
- इस पूरी प्रक्रिया में आदिवासी और अन्य परम्परागत वन निवासियों को केंद्र में रखा गया है, इसलिए इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी वन विभाग की जगह आदिवासी विकास विभाग को दी गयी, जिससे उनके अधिकार में किसी भी प्रकार की कमी ना हो ।

102: वन अधिकार अधिनियम का परिचय

अधिनियम का पूरा नाम

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 व संशोधित नियम 2012 को छोटे रूप में वन अधिकार कानून, 2006 कहते है।

अधिनियम 2006 का उद्देश्य

- वन में निवासरत जनजातियां जो लम्बे समय से व्यक्तिगत और सामुदायिक उपयोग के अधिकार से दूर हैं, उनके अधिकारों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना,
- अधिकारों की मान्यता के लिए कानूनी ढांचा बनाना
- वन प्रबंधन के लिए सबको शामिल करने हेतु गाँव के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना

वन अधिकारों की मान्यता की आवश्यकता क्यों

- आदिवासी कई वर्षों से वनों में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों को कही लिखा, माना या शामिल नहीं किया गया है
- आरक्षित, संरक्षित वन तथा वन्यजीव अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यानों में परंपरागत वन निवासी समुदायों के अधिकार समाप्त हो गए हैं जिससे उनका जीवन भोजन और सुरक्षा प्रभावित हुई है।

प्रमुख परिभाषाएं

- वन में निवासरत अनुसूचित जनजातीय समुदाय से तात्पर्य ऐसे लोगों के समूहों से है, जो प्राथमिक रूप से वनों में रहकर अपनी जीविका चलाते हुए वन्य जीव-जन्तु और जैव विविधता की देखरेख करते है।
- अन्य परम्परागत वन निवासी से तात्पर्य ऐसे समूहों के सदस्य या समुदाय से है, जो 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व कम-से-कम तीन पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से वन में निवास कर रहें हो और अपनी आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर हो। इनमें अन्य परम्परागत वन निवासियों को 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व 75 वर्ष का वन या वन भूमि में निवासरत होने का प्रमाण देना होगा।
- दावेदार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, समुदाय, कुटुंब, कमजोर जनजातीय समूह की पुरानी संस्थाएं/ समूह, कृषि पूर्व समुदाय, चारागाही या घुमन्तू समुदाय के व्यक्ति या सदस्य जो अधिनियम में लिखे हुए अधिकारों की मान्यता के लिए दावा करते हो।

आजीविका की वास्तविक आवश्यकता

वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वयं परिवार और समुदाय को आजीविका उपलब्ध कराना जिसमें उत्पादनों को बेचना भी शामिल है, जो निम्न प्रकार के है-

गौण वनोपज	गौण वनोपज का निपटन	वन भूमि
गौण वनोपज में पादप मूल के समस्त गैर-इमारती वन-उत्पाद जैसे- बांस, झांड-झंखाड़, ठूंठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, कोसा, मोम, लाख, तेंदू-पत्ते, औषधीय-पौधे और जड़ी-बूटिया, कंद-मूल आदि सम्मिलित है।	गौण वन उत्पाद जो ग्राम की पारंपरिक सीमा के भीतर या बाहर जमा किये जाते रहे हैं, उन पर मालिकाना अधिकार, जिसमें उन्हें जमा करने के लिए उन तक पहुँच, उनके उपयोग, निपटान और बिक्री का अधिकार शामिल हैं, इसके तहत गौण वनोपजों को बेचना, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रसंस्करण करना, जमा करना, उसके उत्पाद को बढ़ाना तथा आजीविका के लिए उन्हें जमा करने वालो की सहकारी संस्थाओं, संघ या परिसंघो के माध्यम से वन क्षेत्र के भीतर और बाहर परिवहन करना भी शामिल है।	किसी भी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोई भी भूमि जिसमें अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित जैव-क्षेत्र, छोटे-बड़े झाड़ का जंगल, पहाड़ी चट्टान, नारंगी भूमि भी सम्मिलित है।

वन अधिनियम अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण

यह अधिनियम किन-किन भूमियों पर अधिकार देता है?

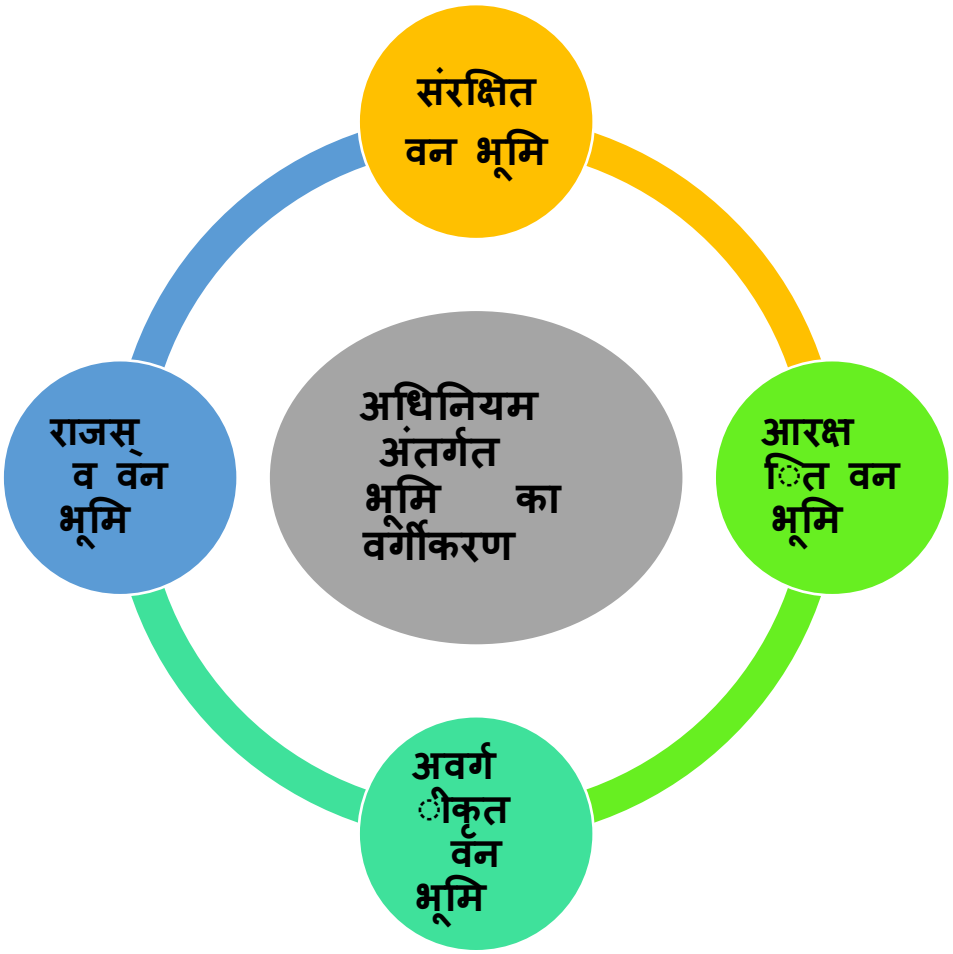

संरक्षित वन:- संरक्षित वन ऐसी वन भूमि होती है, जहां कुछ समुदायों के सदस्यों को स्थायी आधार पर निस्तार, लघु वनोपज संग्रहण, लकड़ी की कटाई, शिकार, चराई और अन्य गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है ।

आरक्षित वन:- आरक्षित वन से आशय उन वनों से है, जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था।

अवर्गीकृत वन:- ऐसे वन अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आते है, जिनका अभी निर्धारण नहीं हुआ है कि इनको आरक्षित वन बनाया जाए या संरक्षित ।

राजस्व वन भूमि/बड़े-छोटे झाड़ के क्षेत्र:- ऐसी वन भूमि जो राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आते है, जिसमें बड़े या छोटे झाड़ के जंगल उपलब्ध हो ।

सामुदायिक वन भूमि या अन्य किसी भी प्रकार की वनभूमि के दावेदार निम्न होंगे ।

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी समुदाय
- गाँव को बसाने वाला पहला व्यक्ति /समुदाय /वंश / लोग और उनका परिवार
- गाँव में निवासरत अन्य परंपरागत वन निवासी / जनजातियां

इस कानून के अंतर्गत निम्न प्रकार के वन अधिकार प्रदान किए गए हैं:-

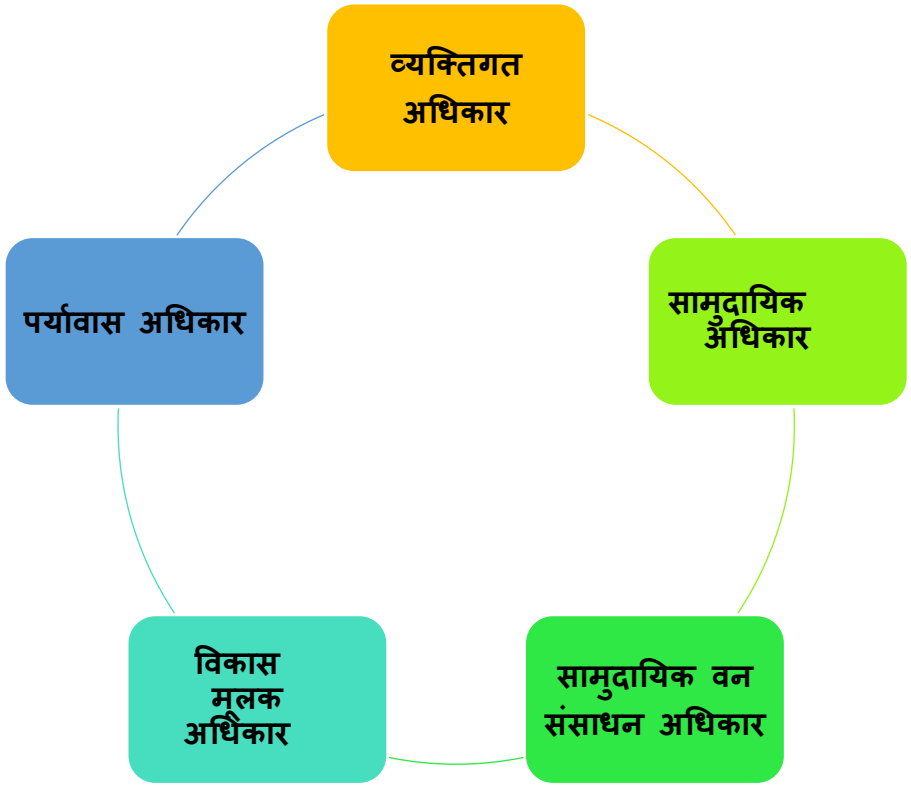

अधिकार का प्रकार	भूमि का प्रकार	दस्तावेज
व्यक्तिगत अधिकार	वन भूमि पर निवास तथा उपयोग का अधिकार इसमें खेती करने, मवेशी रखने, फसल कटाई के बाद चक्रीय पड़त भूमि, वृक्ष, फसल तथा उपज एकत्रित कर रखना शामिल है। लीज/पट्टे/अनुदानों में प्राप्त भूमि, विवादित भूमि, पुनर्वास और वैकल्पिक भूमि, बिना मुआवजा के विस्थापित की गई भूमि, वन ग्राम भूमि, अन्य कोई पारंपरिक भूमि पर अधिकार शामिल है।	
सामुदायिक अधिकार	गाँव के पारंपरिक सीमा क्षेत्र के भीतर आने वाले समस्त संसाधन और निस्तार के लिए उपयोग किये जाने वाले बाह्य संसाधनों का अधिकार।	
	संसाधनों की खरीदी-बिक्री, उत्पादन, कृषि, संग्रहण, पुर्नवास, चराई, जैव विविधता सुरक्षा आदि का	

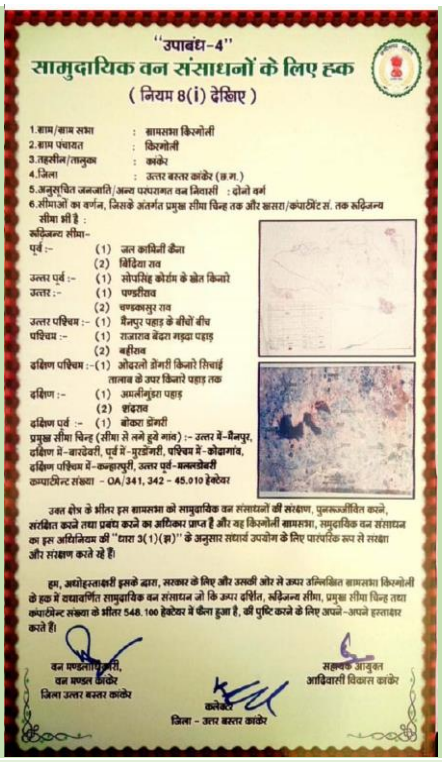

	अधिकार सामुदायिक अधिकार कहलाता है, जो समुदाय के लिए लाभकारी हो।	 "उपाबंध-4" सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक (नियम 8(i) देखिए) 1.ग्राम/ग्राम सभा : ग्रामसभा किरगोली 2.ग्राम पंचायत : किरगोली 3.तहसील/तालुका : कांकेर 4.जिला : उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) 5.अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : दोनो वर्ग 6.सीमाओं का वर्णन, जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेंट सं. तक रूढ़िजन्य सीमा भी है : रूढ़िजन्य सीमा- पूर्व :- (1) जल कामिनी कैना (2) बिंदिया राव उत्तर पूर्व :- (1) सोपसिंह कोर्राम के स्रोत किनारे उत्तर :- (1) पण्डरीराव (2) चण्डकासुर राव उत्तर पश्चिम :- (1) मैनपुर पहाड़ के बीचों बीच पश्चिम :- (1) राजाराव बेंदरा गड्डा पहाड़ (2) बहीराव दक्षिण पश्चिम :-(1) ओदरलो डोंगरी किनारे सिंचाई तालाब के उपर किनारे पहाड़ तक दक्षिण :- (1) अमलीगुंडरा पहाड़ (2) शंदराव दक्षिण पूर्व :- (1) बोकरा डोंगरी प्रमुख सीमा चिन्ह (सीमा से लगे हुये गांव) :- उत्तर में-मैनपुर, दक्षिण में-बारदेवरी, पूर्व में-पुरडोंगरी, पश्चिम में-कोदागांव, दक्षिण पश्चिम में-कन्हारपुरी, उत्तर पूर्व-मलान्डोबरी कम्पार्टमेन्ट संख्या - OA/341, 342 - 45.010 हेक्टेयर उक्त क्षेत्र के भीतर इस ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षण, पुनरूज्जीवित करने, संरक्षित करने तथा प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है और यह किरगोली ग्रामसभा, सामुदायिक वन संसाधन का इस अधिनियम की "धारा 3(1)(झ)" के अनुसार संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षा और संरक्षण करते रहे हैं। हम, अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से ऊपर उल्लिखित ग्रामसभा किरगोली के हक में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन जो कि ऊपर दर्शित, रूढ़िजन्य सीमा, प्रमुख सीमा चिन्ह तथा कंपार्टमेन्ट संख्या के भीतर 548.100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, की पुष्टि करने के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं। वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर जिला - उत्तर बस्तर कांकेर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	ग्राम के परम्परगत सीमा के भीतर आने वाले आरक्षित, संरक्षित वन भूमि, अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यानों से प्राप्त होने वाले उत्पाद व सामग्री जिसका उपयोग समुदाय वर्षों से कर रहा हैं, वे सामुदायिक वन संसाधन कहलाते है।	
विकास मूलक अधिकार	विकास मूलक अधिकार से तात्पर्य उन 13 अधिकारों से है, जिसके अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी, औषधालय, चिकित्सालय, लघु सिंचाई नहरें, सड़कें, पेयजल आपूर्ति जो कि अधिनियम में दिए गए हैं।	

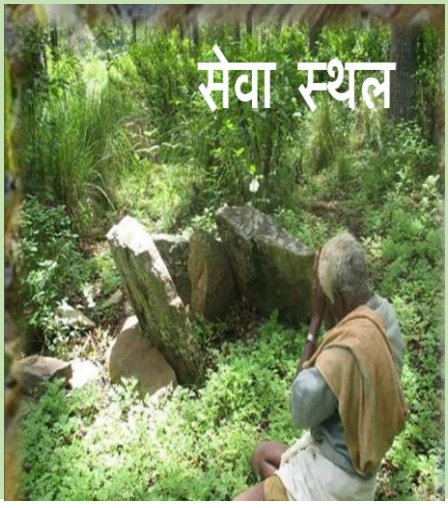

पर्यावास अधिकार	पर्यावास अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो विशेष रूप से कमजोर समुदायों और कृषि पूर्व समुदायों के पारंपरिक क्षेत्रों में आजीविका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों से सम्बंधित है एवं सभी प्रकार के वन क्षेत्रों में मान्य है।	

इस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है

"पारंपरिक सीमा के अंतर्गत आनेवाले सभी संसाधनों पर ग्राम सभा और वहां पर रहने वाले समुदायों का अधिकार होता है |"

निस्तार की परिभाषा

"निस्तार" से तात्पर्य गाँव के निवासियों तथा गाँव के अन्य लोगों द्वारा उपयोग करने के लिए गाँव की सार्वजनिक तथा पड़त भूमि पर पारम्परिक अधिकार से है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल है;

- कृषि मवेशियों की चराई
- कृषि प्रयोजनों हेतु सूखी लकड़ी, कांटे और पत्तियों का संग्रहण, फलदार पेड़, बांस, लता, फल, कंकड़, रेत, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर, अन्य वनोपज और गौण खनिज जिनका ग्राम के निवासियों द्वारा अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं हेतु मुफ्त में उपयोग किया जा रहा हो तथा कारीगरी के लिए उपलब्ध हो |

- इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए
- चारागाह, घास, बिड़ या चारा हेतु
- कब्रिस्तान तथा शमशान घाट के लिए
- गोठान के लिए
- पड़ाव डालने के लिए भूमि
- खलिहान / बाड़ी के लिए
- बाजार के लिए
- खाल (चमड़ा) निकालने के स्थान के लिए
- खाद के लिए गड्ढों (घुरवा) के लिए
- सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे कि स्कूल, खेल-मैदान, सड़क, गली, पार्क, नाली आदि के लिए टैंक, सिंचाई, मछली पकड़ने और पानी के अन्य अधिकारों के लिए

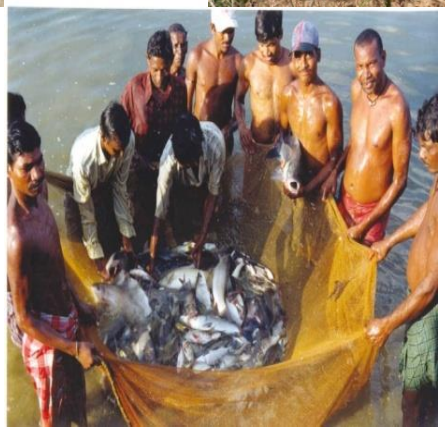

105: कानून से जुड़ी जरुरी बातें

बेदखली से सुरक्षा:

जब तक वन अधिकार मान्यता की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक अनुसूचित जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे जंगल जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

संरक्षण का अधिकार:वन अधिकार कानून लोगों को वन भूमि पर आधारित आजीविका को सुरक्षित रखने , ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा , संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार और जिम्मेदारी भी देता हैं

ग्रामसभा की अनुमति से ही वन हस्तांतरण अधिकार:

वनाधिकार कानून के तहत किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ग्रामसभा की 50% गणपूर्ति व आम सहमति से निर्णय लेना अनिवार्य होगा |

अध्याय -द्वितीय

वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत ग्राम सभा

201-ग्राम सभा का परिचय

202-ग्राम सभा की भूमिका

203-ग्राम सभा का कोरम

204-ग्राम सभा आयोजन की प्रक्रिया

205-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेग

201: वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ग्राम सभा

1993 से पूर्व की शासन व्यवस्था

संसद- दिल्ली

विधायक-भोपाल

कलेक्टर -जिला कार्यालय

बी0डी0ओ0-जनपद/ब्लाक

ग्राम पंचायत

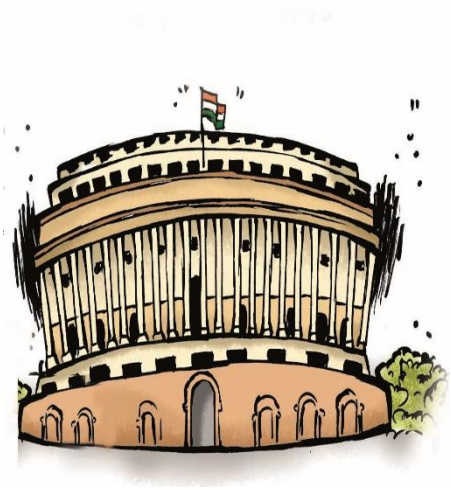

1993 से बाद की नई पंचायती राज व्यवस्था

जिला पंचायत

जनपद पंचायत

ग्राम पंचायत /

ग्राम सभा की वर्ष की चार अनिवार्य बैठकें

23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में	14 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में	20 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में	02 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में

ग्राम सभा

- ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ है ।
- ग्राम सभा में गाँव में आने वाले समस्त गाँव, पारा, टोला के सभी वयस्क मतदाता
- महिला/पुरूष/युवक/युवतियाँ शामिल हैं ।
- ग्राम सभा पंचायत द्वारा बुलाई जाने वाली एक बैठक / सभा है ।
- इस सभा में उपस्थित सभी व्यस्क मतदाता अपनी व्यक्तिगत समस्याओं,
- आवश्यकताओं व योजनाओं के विषय में चर्चा करने के लिए पंचायत भवन या अन्य किसी खुले स्थान में बैठक करते है।
- बैठक में उपस्थित समस्त ग्रामवासी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर संकल्प पारित होता है।

ग्राम सभाओं के प्रकार (ग्राम सभा तीन प्रकार की होती हैं)

अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (पेसा)

सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा

सामुदायिक वनाधिकार की ग्राम सभा

अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (पेसा)

- **आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को विशेषाधिकार प्राप्त है।**
- सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
- अध्यक्ष सभा का संचालन करता हैं।
- पंचायत का सचिव ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण दर्ज करता हैं।

सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा

- सामान्य ग्राम सभा में पंचायत का सरपंच ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा।
- सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।
- दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जायेगा।

सामुदायिक वनाधिकार की ग्राम सभा

- सामान्य क्षेत्रों में सामान्य तरीके से होगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र के आधार पर होगी।
- ग्राम सभा अपने ग्राम के 10/15 व्यक्तियों का वनाधिकार समिति के लिए चयनीत करेगी।

202: ग्राम सभा की भूमिका

- ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों के मध्य ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन करना ।
- वन्य जीव, वन एवं जैव विविधता के संरक्षण एवं रखरखाव के लिए ग्राम सभा
- सदस्यों में से प्रबंधन समिति का गठन करना ।
- ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति, सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन
- करेगी ।
- ग्राम सभा वन विकास योजना तैयार करेगी जिसकी जाँच एवं निगरानी ग्राम सभा
- द्वारा की जायेगी ।
- वन अधिकारों की प्रकृति, सीमा निर्धारण एवं ग्राम के सभी वन अधिकार धारकों के
- नामों की सूची के साथ उनके दावों पर निर्णय लेकर उपखण्ड स्तरीय समिति तक
- दावों को जमा करवाकर पावती लेगी ।
- वनाधिकार क्षेत्र के साक्ष्य हेतु विभिन्न दस्तावेजों को विभाग से प्राप्त करना ।
- सी.एफ.आर. का गठन करना ।

203: ग्राम सभा का कोरम

- किसी भी ग्राम सभा बैठक में सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति को कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है।
- कोरम के अभाव में बैठक में लिए गए निर्णयों को प्राप्त विशेषाधिकारों की मान्यता नहीं होती है।

सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा का कोरम

- ग्राम सभा का कोरम पूरा होने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों मे से 1/10
- प्रतिशत सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है, (अर्थात यदि ग्राम की कुल
- मतदाताओं की संख्या 1000 है तो, उसमें से कम से कम 100)
- कुल सदस्यों में से एक तिहाई (1/3) महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है।
- (उपस्थित 100 में से 33 प्रतिशत महिलाओं की अनिवार्यता है।

पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा का कोरम

- ग्राम सभा का कोरम/गणपूर्ति पूरा होने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों मे से 1/3 या ३३ प्रतिशत (अर्थात यदि ग्राम के मतदाताओं की संख्या 1000 है, तो उसमें से कम से कम 3) तक कुल सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- कुल सदस्यों की उपस्थिति में से एक तिहाई महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। (उपस्थित 300 लोगों में 100 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है।)

वन अधिकार समिति में निर्णय के लिए ग्राम सभा का कोरम

- ग्राम सभा का कोरम/गणपूर्ति पूरा होने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों मे से 50
- प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जिसमें से एक तिहाई महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है।
- ग्राम सभा में दावों पर चर्चा वाले दिन 50 प्रतिशत दावाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों का होना भी जरूरी है।

बैठक के पूर्व की तैयारी

- **बैठक के दिन/ दिनांक/ तिथि और समय निश्चित करना।**
- बैठक के लिए भवन या अन्य खुले स्थान का चयन करना।
- बैठक हेतु पर्याप्त कुर्सी टेबल, दरी आदि की व्यवस्था करना
- बैठक का एजेंडा तैयार कर अंतिम रूप देना।

बैठक के पूर्व की सूचना

- पंचायत पदाधिकारियों एवं सीमावर्ती क्षेत्र की ग्राम सभाओं को लिखित में विधिवत रूप से बैठक की पूर्व में सूचना भेजना तथा पावती लेना।
- मैदानी हितधारकों को लिखित सूचना देना तथा हस्ताक्षर लेना ।

• स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	• कोटवार
• ग्राम बैगा	• सेवानिवृत्त शासकीय सेवक
• मितानीन/दाई	• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
• ग्राम वैद्य	• पुजारी
• तेंदू पत्ता संग्राहक	• गौण खनिज संग्राहक

शासकीय मैदानी हितधारकों को लिखित सूचना देना तथा हस्ताक्षर लेना जिनमें शामिल हैं :

- पटवारी
- बीटगार्ड
- ग्राम सहायक
- ग्रामीण शिक्षक

दीवार लेखन पोस्टर पाम्पलेट के द्वारा सूचना एवं जन जागरूकता

सूचना- बैठक के समय से 7 दिवस पूर्व बैठक की सूचना देनी चाहिए।

सार्वजनिक स्थान में बैठक के समय दिन/दिनांक व स्थान की सूचना देने के तरीकेः

ढोल पिटवाकर /लाउडस्पीकर के माध्यम से या सार्वजनिक स्थलों पर सूचना चिपकाकर बैठक के स्थान, दिन / दिनांक की जानकारी सुस्पष्ट बड़े अक्षरों में लिखी होनी चाहिए।

- बाजार
- स्कूल
- आंगनबाड़ी
- चौक चौराहों
- युवा क्लब
- ग्रामीण मंडली
- चिकित्सालय
- पंचायत भवनों
- उचित मूल्य/राशन की दुकानों में

पंचायतो द्वारा भी सार्वजनिक चौक / चौराहों में व सार्वजनिक/ शासकीय भवनों में ज्यादा लोगों की नजर पड़ने लायक दीवार या स्थान पर सूचना बोर्ड लगा कर रखा जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को आते जाते सूचना पढ़ने को मिल जाये।

ग्राम सभा में भागीदारी

ग्राम सभा में सहभागिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित प्रयास अनिवार्य हैं:

- ग्राम सभा के लिए तय कि गई तिथि वाले दिन लोगों के हॉट बाजार/तीज त्यौहार या कोई अन्य जरूरी कार्य का दिवस तो नहीं है, अवश्य सुनिश्चित करें।
- समय/पहर का चयन महिलाओं व मजदूरों के सहुलियत के अनुसार ही हो इस का ध्यान रखें।
- ग्राम सभा में अभद्रतापूर्ण व्यवहार, धुम्रपान व नशा सेवन को पूर्णतः प्रतिबंधित करें।
- महिला व पुरूषों के बैठने के लिए उचित व सम्मानजनक व्यवस्था होनी चाहिए।
- आमजनों को ग्राम सभा के एजेंडों की जानकारी देकर बैठक में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें।
- गाँव के सक्रिय व्यक्ति बैठक होने के पूर्व सूचना पट व पाम्पलेट में बैठक की सूचना की सतत निगरानी करते हुए ग्रामवासियों से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके निजी एजेंडे को चिन्हित करने में सहायता करे एवं आवेदन लिखकर उन्हें ग्राम सभा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें।
- बैठक पूर्व चिपकाई गई सूचना के फटने या हटने की स्थिति में उसकी प्रति लेकर पुनः उस स्थान पर चस्पा करें।
- बैठक की सूचना की दो से तीन बार मुनादी होनी चाहिए।
- समय स्थान व दिनांक की सूचना संभव हो तो वार्ड पंच अपने वार्ड/पारा/मोहल्ले में स्वयं संपर्क कर लोगों को देवें।

- ग्राम सभा में चर्चा के दौरान ग्रामीणों के सार्वजनिक हितों के साथ-साथ व्यक्तिगत हितों पर भी चर्चा करें।
- अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया कि लोगों को जानकारी दें।
- स्थानीय जागरूक तथा योग्य व निष्पक्ष व्यक्तियों को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रेरित करें।
- पिछली बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों व निर्णयों को सभा में अनिवार्य रूप से पढ़ें।
- स्थानीय युवा संगठनों को, विभिन्न महिला संगठनों, तेंदूपत्ता मजदूर व विभिन्न गौण खनिज संग्राहकों एवं व्यक्तिगत वनाधिकार प्राप्त परिवारों को ग्राम सभाओं में भागीदारी बढानें के लिए व्यक्तिगत संपर्क कर आमंत्रित, जागरूक व प्रेरित करें।

वनों से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने वाले समूह जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- तेन्दू-पत्ता संग्राहक।
- गौण खनिज संग्राहक।
- दोना पत्तल निर्माण संग्राहक वर्ग
- मछली पकड़ने वाला वर्ग
- अन्य गौण वनोत्पादों से अपनी जीविका चलाने वाले परिवार

से संपर्क कर बैठक की सूचना अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करे।

206: ग्राम सभा का दस्तावेजीकरण

- ग्राम सभा में उपस्थिति पंजी होना अनिवार्य होगा।
- ग्राम सभा में प्राप्त दावा आवेदनों का संकलन करना अनिवार्य होगा।
- दावा फ़ॉर्म
- दावेदारों की सूची
- एफ.आर.ए.फ़ॉर्म
- बुजुर्गों का कथन
- सीमा विवाद के दस्तावेज
- सीमावर्ती गाँव के सहमति/अनापत्ति पत्र
- एफ.आर.सी. के दस्तावेज
- नजरी नक्शा
- पिछली ग्राम सभा के बैठक का अनुमोदन
- महिलाओं के **50** प्रतिशत कोरम का दस्तावेज
- उपखण्ड जिला स्तरीय समिति में ट्रेस मैप
- जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया सामुदायिक वन संसाधन अधिकर पत्र
- जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया सामुदायिक वन अधिकर पत्र

ध्यान रखने योग्य जरुरी बातें

- ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहें व्यक्ति के लिए जरूरी बातें
- वह प्रस्तावों को भली भांती पढे, और सभा में पढ़कर सुनाये।
- आश्वस्त होने पर ही अपने हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर के पूर्व दस्तावेज पर रिक्त स्थान न छोड़े।
- हस्ताक्षर करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेंवे कि रिक्त स्थान पर बाद में कोई प्रस्ताव न लिखा गया हो

- पूरी प्रक्रिया उचित व नियमानुसार हो इसकी जाँच परख कर लेंवें
- नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया गया है या नहीं सुनिश्चित कर लेंवें
- अवलोकन करें की सभी महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल किये गये हैं, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटी ना हो।

अध्याय -तृतीय

सी. एफ.आर. आर और सी.आर. की मान्यता के लिए प्रक्रिया

301-ग्राम सभा का परिचय

302-ग्राम सभा की भूमिका

303-ग्राम सभा का कोरम

304-ग्राम सभा आयोजन की प्रक्रिया

305-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेगी

306-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेगी

307-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेगी

308-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेगी

309-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेगी

309-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेगी

310-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेगी

312-ग्राम सभा में भागीदारी कैसे बढ़ेगी

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं सामुदायिक अधिकार की मान्यता प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरण: पहला चरण

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत दावों की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए ग्राम सभा की बैठक

1. पंचायत द्वारा प्रत्येक माजरा, टोला, पारा स्तर पर गठित ग्राम सभा की अलग-अलग बैठक बुलवाकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना| (प्रप्रत्र 5.A.1)

- वन अधिकारों की मान्यता कानून के तहत अधिकारों पर विस्तार से चर्चा
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR)/ सामुदायिक अधिकार (CR) के दावों की तैयारी के लिए एक समूह का निर्माण जिनमें महिलायें, बुजुर्ग, सभी समुदाय के प्रतिनिधि, परम्परागत ज्ञान रखने वाले लोग (वैद्द्, सिरहा, गुनिया, गायता, माझी, पेरमा, वड्डे, पटेल और चरवाहे) आदि को शामिल करना
- CFRR/ CR के दावों को भरने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को शुरू करना
- दावा प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होने की सूचना एस. डी. एल. सी./डी. एल. सी. को देना,
- सी. एफ. आर. आर./सी. आर. से सम्बंधित साक्ष्य के सभी दस्तावेजों को एस. डी. एल. सी./ डी. एल. सी. द्वारा प्रदान कराए जाने का निवेदन करना
- दावा प्राप्त करने की प्रक्रिया के शुरू होने की सूचना पड़ोस के ग्राम सभा को भेजना तथा सम्बंधित ग्राम के वन अधिकार समिति (FRC) के अध्यक्षों को इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराना

2. ग्राम पंचायत सचिव FRC को वनाधिकार दावा किट में दावा प्रपत्र 'ख' एवं 'ग' दावों की प्राप्ति एवं सत्यापन के लिए आवश्यक पंजी एवं सामग्रियां उपलब्ध कराएंगे |
3. FRC के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सूचना तैयार कर ग्राम के सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करना जिसमें कोर समूह के सदस्यों के नाम, अगली बैठक का दिन, तिथि, स्थान और समय के बारे में लिखा हो तथा ग्राम सभा आयोजन के लिए मुनादी करवाना

परिशिष्ट 5.1

प्ररूप-ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

{नियम 11(1)(क) और (4) देखें}

1. दावेदार (रों) का/के नाम :
   - क. एफडीएसटी समुदाय: हां/नहीं
   - ख. ओटीएफडी समुदाय : हां/नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप:-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो:
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार
   - क. उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो:
   - ख. चरने हेतु, यदि कोई हो :
   - ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों,
   (अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)
4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (ड.) देखें)
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो:
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ट) देखें)
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य :
   (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) के

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रपत्र 5.A.1

श्रीमान

सरपंच / सचिव

ग्राम पंचायत .....

विषय – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों कि मान्यता) कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के संबंध में विशेष ग्राम सभा बुलाने बाबत |

महोदय,

छत्तीसगढ़ के पंचायत राज अधिनियम के तहत विशेष ग्राम सभा ..... में दिनांक.....को ग्राम..... में बुलाया जावे |

विशेष ग्राम सभा में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत ग्रामवासियों के अधिकार के संबंध में चर्चा कर निर्णय लेना है |

भवदीय

नाम हस्ताक्षर

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

परिशिष्ट 5.2

प्ररूप-ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

{अधिनियम की धारा 3(1)(झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिए}

1. ग्राम/ग्राम सभा:

2. ग्राम पंचायत:

3. तहसील/तालुक:

4. जिला:

5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम, इस ग्राम सभा के अद्योहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3(1)(झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता की दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनरूज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे है, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दे कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है।)

6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो:

7. सीमा से लगते हुए ग्राम:

i.

ii.

iii.

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिए)

दावेदार (दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान:

दावा प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एफ. आर. सी. की प्रारंभिक बैठक:

ग्राम सभा, CFR/CR दावा प्रक्रिया के लिए समय तय करेगी जिसकी समयावधि ग्राम सभा प्रस्ताव के दिन से 03 माह तक की होगी | निश्चित समयावधि में कार्य पूरा न होने पर उसका कारण लिखते हुए समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता हैं।

1.FRC दावों के लिए जरुरी सामग्री और साक्ष्यों को जमा करने हेतु सदस्यों के मध्य जिम्मेदारियां तय करेंगी जिसके अंतर्गत -

- दावों के लिए तैयारियां एवं तरीकों के विभिन्न चरणों पर चर्चा कर सदस्यों के मध्य कार्यो का विभाजन किया जायेगा |

समूह के सदस्यों को प्रदान की गयी जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी दी जाएगी

CR हेतु विशेष संरक्षित जन जातियां, कृषि पूर्व समुदाय, चरवाहो आदिवासी, घुमंतू समुदाय के लोगों, पारंपरिक संस्थाओं से आवेदन, अधिनियम के प्रारूप 'ख' में लिए जाएंगे |

वन अधिकार समिति द्वारा दावों की तैयारी एवं जमा करना:

\सीमावर्ती ग्रामों को प्रारंभिक सूचना

- वन अधिकार दावों के मान्यता की प्रक्रिया प्रारंभ करने की पहली सूचना एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार हेतु पारंपरिक सीमाओं के निर्धारण में सहयोग करने के लिए सीमावर्ती ग्रामों से निवेदन करना।
- सीमावर्ती ग्रामों को दी गयी सूचना की अनिवार्य रूप से पावती लेना।
- FRC के द्वारा गांव के मुख्य स्थान, पारा, टोला, मोहल्ला में लोक सूचना चिपकाना।

पारंपरिक सीमाओं की पहचान के लिए भ्रमण

- गांव की पांरपरिक सीमा की पहचान के लिए FRC और कोर ग्रुप के सदस्यों को सम्मिलित करना।
- पहाड़, गुफाएं, पूजास्थल, नदी, नाले, तालाब, वनोपज के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी का स्थान आदि को चिन्हित करना।
- सीमाओं का निर्धारण करना ताकि **GPS** करने में आसानी हो।
- FRC सदस्यों द्वारा सभी जानकारियों को अपनी डायरी में नोट करना।

एफ. आर. सी. के द्वारा दावे के सत्यापन की तैयारी

1. FRC द्वारा पहले की बैठक में तय किये गए दावे के सत्यापन के लिए दिन, समय और स्थान की सूचना विभिन्न प्रारूप में तैयार की जाएगी
2. प्रारूप **5.C** के अनुसार राजस्व, पंचायत और वन विभाग को सूचना पत्र दिया जायेगा
3. पड़ोसी गाँव की FRC को सूचनापत्र भेजा जायेगा
4. सत्यापन के दिन, स्थान और समय की जानकारी गाँव के सभी सदस्यों को दी जाएगी और इनके निर्धारण में महिलाओं के समय का विशेष ध्यान रखा जायेगा

1.ग्राम वनाधिकार समिति, दिन तथा समय का निर्धारण कर कोर समूह और अपनी गाँव की सीमा से लगे सभी गाँव के FRC प्रतिनिधियों सहित बुजुर्ग सदस्य, महिलाएं, पारम्परिक ज्ञान वाले लोग जैसे- वैध, सिरहा, गुनिया, गायता, माझी, पेरमा, वड्डे, पटेल और चरवाहे आदि के साथ बैठक करेगी। इसके अलावा सभी बीटगार्ड, पटवारी और पंचायत सचिव को भी बुलाएगी जिसकी सूचना प्रारूप 5.C में दी जाएगी।

प्रपत्र 5.C

सीमावर्ती ग्रामों को नज़री नक्शा तैयार करने हेतु सूचना

वन अधिकार समितिः..... (वन अधिकार समिति का नाम, यदि कोई हो)
ग्राम का नामः.....
सूचना की तिथिः.....
सूचना क्रमांकः.....
प्रति,

1. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
2. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
3. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
4. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
5. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....

विषयः सामुदायिक अधिकार तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु नज़री नक्शा तैयार करने हेतु।
महोदय / महोदया,

ग्राम..... (ग्राम का नाम) के ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प दिनांक ..... के अनुसार, हम, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु गाँव का नज़री नक्शा दिनांक ..... को ……..बजे से तैयार करेंगे। इसी नज़री नक्शा के आधार पर सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु गाँव का दावा तैयार किया जायेगा।

अतः गाँव के FRC प्रतिनिधियों तथा ऐसे बुजुर्ग सदस्य एवं पारंपरिक मुखियाओ जैसे वैद्य, सिरहा, गुनिया, बरुआ, गायता, मांझी, पेरमा, वड्डे, पटेल, चरवाहे आदि को, जो की पारंपरिक सीमा का विस्तृत ज्ञान रखते हो, के साथ उपरोक्त दिनांक को निर्धारित समय पर उपस्थित रह इस कार्य में सहयोग एवं सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग……., जिला……
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत……., जिला……
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र…….
4. वनरक्षक, परिसर……..……
5. पटवारी, हल्का क्रमांक……...
6. सरपंच/सचिव, ग्राम……..
7. ग्राम प्रमुख, पटेल, गायता ……

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति सचिव, वन अधिकार समिति

स्थल जाँच , दावों का भौतिक सत्यापन और मानचित्र तैयार करना

- FRC पड़ोसी गाँव के FRC, बीटगार्ड तथा पटवारी के साथ गाँव की परम्परागत सीमा की पहचान तथा स्थल सत्यापन करेगी इसके लिए GPS का भी उपयोग किया जाएगा
- FRC स्थल जाँच का पंचनामा FRC रजिस्टर में तैयार करेगी, पंचनामा में वह स्थल सत्यापन में उपस्थित सभी लोगों से हस्ताक्षर प्राप्त करेगी, स्थल सत्यापन में प्राप्त नक्शा और रकबा को पड़ोसी गाँव की FRC से सत्यापित करते हुए, वह वनाधिकार समितियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी
- पड़ोसी गाँव के साथ वनाधिकार के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, तो दोनों गाँव की समितियों की संयुक्त बैठक बुलाकर विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे

अगर दोनों गाँव के बीच विवाद का समाधान नहीं होता, तो इस प्रकरण को एस.डी.एल. सी को भेजा जाएगा

सत्यापन रिपोर्ट तथा नक्शे की तैयारी

- यह जरुर देखें कि CFR/CR के दावे ठीक ढंग से भरे गए हों तथा सभी साक्ष्य उसके साथ संलग्न किये गए हो
- चर्चा करके दावा पंजी पूरा करें और समिति के सदस्यों के प्रस्ताव को लिखे
- दावेदारों की सूचि में ग्राम सभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी के नाम और हस्ताक्षर हो
- नजरी नक्शा मूल राजस्व मानचित्र और कम्पार्टमेंट के नक़्शे कि प्रतिलिपि तैयार करें
- ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अंतिम सत्यापन प्रतिवेदन बनाये

FRC दावों के समाधान के लिए ग्राम सभा आयोजित करने हेतु सरपंच/ग्राम सभा अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करेगी

ग्राम सभा द्वारा दावों का हल

- ग्राम पंचायत / ग्राम सभा द्वारा सभी माजरा, टोला, पारा स्तर पर गठित ग्राम सभा की अलग -अलग बैठक बुलाई जाएगी
- ग्राम सभा के F.R.C. द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर अपना निर्णय प्रस्ताव पंजी में लिखा जाएगा और सभी के हस्ताक्षर लेकर इसकी प्रतिलिपि वन अधिकार दावा पंजी में संलग्न की जाएगी

(अगर दावा निरस्त होता है, उसमें कुछ संसोधन या विवाद की स्थिति पैदा होती हैं तो प्रत्येक पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचित किया जायेगा)

एस. डी. एल. सी. द्वारा दावों का हल

- एस .डी. एल. सी दावा प्राप्ति के बाद सम्बंधित ग्राम सभा को तिथि सहित पावती देगी
- एस .डी. एल. सी सभी ग्राम सभाओं से दावों के प्रस्तावों को जमाकर दावा रजिस्टर में दर्ज करेगी
- एस .डी. एल. सी अनुविभाग स्तर पर भेजे गए CFR/CR मानचित्रों को शामिल करेगी
- एस .डी. एल. सी सभी दावों की जाँच करके डी.एल.सी को अपनी सिफारिश भेजेगी
- एस .डी. एल. सी सम्बंधित ग्राम सभाओं के विवाद के हल के लिए संयुक्त बैठक बुलाएगी
- एस .डी. एल. सी एक से अधिक अनुविभाग स्तरीय दावों को हल करने के लिए अन्य एस .डी. एल. सी के साथ समन्वय करेगी
- एस .डी. एल. सी स्वीकृत दावों के आधार पर दस्तावेजों से मिलान के बाद प्रस्तावित अधिकारों का विकासखंड या तहसीलवार दस्तावेज तैयार करेगी
- अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से दावों के अंतिम निर्णय हेतु डी.एल.सी को भेजा जाएगा

ग्राम सभा से दावा प्राप्त होने के बाद एस.डी.एल.सी द्वारा 60 दिनों के भीतर सम्बंधित मामलों को हल किया जायेगा और दावों की वस्तु स्थिति से ग्राम सभा को अवगत कराएगा

डी.एल.सी. अपने सदस्यों के साथ बैठक करके सम्बंधित दावों पर विचार करेगी और ग्राम सभा को अधिकार पत्र प्रस्तुत करेगी |

दावा के अलावा एस.डी.एल.सी निम्नलिखित आवेदनों को सुनेगा और हल करेगा :

1. यदि ग्राम सभा द्वारा किसी अन्य दावेदार का दावा अस्वीकार या संशोधित किया गया हो
2. यदि ग्राम सभा के निर्णय से राज्य की कोई एजेंसी प्रभावित हुई हो
3. यदि ग्राम सभा के निर्णय से कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ हो

- कोई भी ग्राम सभा के दावा जमा करने के 60 दिनों के भीतर एस.डी.एल.सी के समक्ष आवेदन कर सकता है,
- एस.डी.एल.सी आवेदनकर्ता और सम्बंधित ग्राम सभा को सुनवाई के लिए दिन, समय और स्थान की लिखित मे सूचना 15 दिन पहले देगा
- यदि ग्राम सभा के दावे पर राजस्व या वन विभाग द्वारा आपत्ति की जाती है, की स्थल जाँच के दौरान विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो एस.डी.एल.सी द्वारा दावा सम्बंधित ग्राम सभा को पुनःसत्यापन के लिए भेजा जायेगा

एस.डी.एल.सी निम्नानुसार अपने अधिकार क्षेत्र में आवेदन का हल करेगी-

1. आवेदन की अनुमति देना
2. पीड़ित व्यक्ति की बात सुनने के बाद आवेदन को निरस्त करना
3. सम्बंधित ग्राम सभा को दोबारा विचार के लिए आवेदन वापस भेजना

एस.डी.एल.सी द्वारा याचिका को ग्राम सभा भेजने की स्थिति में:

1. ग्राम सभा 30 दिनों के भीतर बैठक करके उक्त सन्दर्भ पर प्रस्ताव पारित कर एस.डी.एल.सी. को भेजेगी
2. एस.डी.एल.सी. द्वारा ग्राम सभा के प्रस्ताव पर विचार करते हुए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है

जिला स्तरीय समिति द्वारा दावों का हल

- डी.एल.सी. सम्बंधित एस.डी.एल.सी. से दावे प्राप्त कर एस.डी.एल.सी. और सम्बंधित ग्राम सभा को तिथि सहित पावती प्रदान करेगी
- डी.एल.सी सभी एस.डी.एल.सी. द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को इकट्ठाकर रजिस्टर में दर्ज करेगी
- एस.डी.एल.सी. द्वारा भेजे गए विवरण अनुसार डी.एल.सी जिला स्तर पर मानचित्रों/नक्शो की जाँचकर उन्हें समेकित करेगी
- डी.एल.सी., एस.डी.एल.सी. द्वारा तैयार वन अधिकार के दावों और दस्तावेजों की जाँच कर उन पर विचार कर अनुमोदित करेगी तथा विभिन्न एस.डी.एल.सी. के बीच विवादों को दूर करेगी
- डी.एल.सी. ग्राम सभा के प्रस्तावों को प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर सभी दावों का हल करेगी
- डी.एल.सी. के द्वारा परिशिष्ट 5.6 और 5.5 में लिखे शीर्षक की एक प्रमाणित प्रति सम्बंधित ग्राम सभा और एस.डी.एल.सी. को रिकार्ड के लिए भेजेगी
- डी.एल.सी. वन अधिकारों के दस्तावेज को अंतिम रूप देने के बाद उसका प्रकाशन करेगी

परिशिष्ट 5.5

उपाबंध- 3

{नियम 8 (6ज) देखें}

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम :

   (उपाबंध के अनुसार)

2. ग्राम/ग्राम सभा :

3. ग्राम पंचायत :

4. तहसील/तालुका :

5. जिला :

6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :

7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप

8. शर्तें यदि कोई हो

9. निम्नालिखित के साथ सीमाओं के विवरण

   रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.

   सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (कों) का/के नाम :

1. .....

2. .....

3. .....

हम, अधोहस्ताक्षरी, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते है।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक　　जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलेक्टर/उप आयुक्त

परिशिष्ट 5.6

उपाबंध-4

सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक

{नियम 8(प) देखिए}

1. ग्राम/ग्राम सभा :

2. ग्राम पंचायत :

3. तहसील/तालुक :

4. जिला :

5. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : अनुसूचित जनजाति समुदाय/अन्य परंपरागत वन निवासी समुदाय/दोनो :

6. सीमाओं का वर्णन, जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेन्ट सं. तक रूढ़िजन्य सीमा भी है :

उक्त क्षेत्र के भीतर इस समुदाय को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुनरूज्जीवित करने या परिरक्षित करने या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है और यह (नामोद्धिष्ट करें) समुदाय वन संसाधन, जिसका वे इस अधिनियम की धारा 3(1) (झ) के अनुसार संधार्य उपयोग के लिए पांरपरिक रूप से संरक्षण और परिरक्षण करते रहे हैं।

हम, अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से ऊपर उल्लिखित ग्राम सभा (ग्राम सभाओं)/समुदाय (समुदायों) के लिए हम में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन (सीमा, मात्रा, क्षेत्र, जो भी लागू हो, में नामोद्धिष्ठ और विनिर्दिष्ट किया जाए) की पुष्टि करने के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर करते है।

(प्रभागीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक)

(जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी)

(जिला कलेक्टर/उपायुक्त)

जिला स्तरीय समिति पर याचिका (अपील) पर कार्यवाही

- दावाकर्ता एस.डी.एल.सी द्वारा निर्णय लिए जाने के **60** दिनों के भीतर डी.एल.सी में याचिका दायर कर सकता है
- दावा प्रक्रिया के अलावा डी.एल.सी निम्नलिखित याचिकाओं को सुनेगा :-

1. यदि एस.डी.एल.सी के निर्णय द्वारा किये गए दावों से किसी अन्य दावेदार का दावा अस्वीकार या संशोधित किया गया है
2. यदि एस.डी.एल.सी के निर्णय से राज्य की कोई एजेंसी प्रभावित हुई हो
3. यदि एस.डी.एल.सी के निर्णय से कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ हो

- डी.एल.सी सुनवाई की तिथि तय कर सम्बंधित ग्राम सभा को कम से कम 15 दिन पहले सूचित करेगी
- डी.एल.सी अपने अधिकार क्षेत्र में आवेदन को निम्नानुसार हल करेगी-

1. याचिका की अनुमति देना
2. पीड़ित व्यक्ति की बात सुनने के बाद याचिका को ख़ारिज कर देना
3. सम्बंधित एस.डी.एल.सी को दोबारा विचार करने के लिए याचिका वापस भेजना

- डी.एल.सी दावाकर्ता के वन अधिकार के दस्तावेज को जिला कलेक्टर को शासकीय दस्तावेज में दर्ज करने हेतु भेजेगी

राजस्व और वन विभागों के दस्तावेजों और समेकित नक्शों को अद्यतन(अपडेट) करना:

- अधिकार दस्तावेज को सरकारी रिकार्ड में शामिल करने हेतु निर्देश जारी करेगी तथा वन अधिकार का अंतिम प्रकाशन करेगी,
- राजस्व विभाग तथा वन विभाग अपने रिकार्ड में सी. एफ. आर./सी. आर. को शामिल करेगा
- डी.एल.सी. तय करेगा की अधिकार पत्रक एवं मानचित्र की प्रति कानूनी रुप से ग्राम सभा को प्राप्त हो,

डी.एल.सी. अधिकार पत्रक/मानचित्र में आ रही समस्या का आंकलन कर उसे दस्तावेज में शामिल करेगी

नोट: वन अधिकारों की मान्यता नियम २००७ (यथा संसोधित नियम, २०१२) के नियम (झ) के तहत ग्राम सभा के नाम से डी.एल.सी. प्रदान करेगा |

अध्याय -चतुर्थ

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार समिति

401-वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत समितियां

402-वन अधिकार समिति की भूमिका

403-समिति के बैठकों का संचालन

404-समितियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक निम्ननुसार समितियां गठित होना हैं :

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

जिला स्तरीय निगरानी समिति

उपखण्ड स्तरीय निगरानी समिति

वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति का गठन एवं भूमिका

- वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा **"वन अधिकार समिति"** (एफ आर सी) का गठन किया जाता हैं।
- उक्त हेतु आयोजित ग्राम सभा की गणपूर्ति में उपस्थिति अनिवार्यतः 50 प्रतिशत सदस्यों से होगी, जिनमें से एक तिहाई महिलाएं होंगी।
- ग्राम सभा अपने सदस्यों में से **"वन अधिकार समिति"** का गठन करेगी, जिसमें
  - **कम से कम 10 और अधिकतम 15 सदस्य होंगे**
  - **अनुसूचित जनजाति के कम से कम दो तिहाई सदस्य शामिल होंगे**
  - **कुल सदस्यों में से एक तिहाई महिलाएं होंगी**

- समिति में ग्राम के कमजोर जनजाति समूह(PVTG), कृषि-पूर्व समुदाय(PAC) *चरवाहे* और घुमंतू जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य होगा ।
- अधिनियम की धारा 5 के उपबंधो को लागू करने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाना है
- उक्त समिति गठन की सूचना अनुविभागीय स्तरीय समिति को प्रपत्र **5.**ब में देना और प्रदान की गयी सूचना की पावती लेना अनिवार्य होता हैं।

वन अधिकार समिति के सदस्य

- वन अधिकार समिति में कम-से-कम 10 और अधिक-से-अधिक 15 सदस्य होते हैं।
- कुल सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्यों का होना अनिवार्य होता है।
- कुल सदस्य में कम से कम दो तिहाई अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए, जहां कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं है, वहां कुल सदस्यों में से कम-से-कम एक तिहाई महिलायें होनी चाहिए ।
- वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक सचिव एवं शेष सदस्य होते हैं।
- सदस्यों द्वारा समिति के अध्यक्ष और सचिव का चयन किया जाता हैं।
- नुविभागीय स्तरीय समिति को इस प्रक्रिया की सूचना प्रदान कर पावती ली जाती है।
- केवल ग्राम सभा का सदस्य ही वनाधिकार समिति का सदस्य होगा।
- ग्राम सभा का सचिव या पंचायत अधिकारी वनाधिकार समिति के सचिव नहीं होंगे, शासकीय कर्मचारी वनाधिकार समिति के सदस्य नहीं होते हैं।

402: वन अधिकार समिति की भूमिका

वन अधिकार समिति के पदाधिकारी और सदस्य निम्न भूमिका निभाएंगे :

- ग्राम सभा में सामुदायिक वन संसाधनों सम्बन्धी दावों की तैयारी पर चर्चा करना
- ग्राम सभा के सहयोग से पारंपरिक सीमा की पहचान के लिए कोर कमेटी के गठन में सहयोग करना
- सभी संबंधित विभाग से समन्वय व पत्र व्यवहार करना
- समिति के सभी सदस्यों के मध्य कार्यो का बंटवारा करना
- पडोसी गाँव के वन अधिकार समिति के साथ संयुक्त बैठक कर पारंपरिक सीमा और सभी सामुदायिक अधिकारों की पहचान करना
- नजरी नक्शा प्रारूप "ख "और "ग" के लिए एक साथ या अलग-अलग जीपीएस के माध्यम से पारंपरिक सीमा का सीमांकन कर स्थल सत्यापन रिपोर्ट को प्राप्त करना
- सीमावर्ती गांव से सहमति / सह-अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना
- सीमावर्ती ग्रामों के बुजुर्गो का कथन प्राप्त करना
- नियम 13 के अंतर्गत दो साक्ष्य में एक और साक्ष्य का संकलन करना
- दावेदारों का हस्ताक्षर लेना
- प्रारूप ख और ग के अंतिम रुप से दस्तावेजीकरण
- अंतिम ग्राम सभा में दावों के प्रस्ताव की प्रस्तुति देना एवं उस पर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करना

वन अधिकार समिति के द्वारा किए जाने वाले कार्य

- वन अधिकार समिति द्वारा कोर ग्रुप में ऐसे लोगो को शामिल करना जिन्हें पारम्परिक सीमा का ज्ञान हो जैसे गाँव के बुजुर्ग, गायता, पेरमा, वड्डे इत्यादि
- नजरी नक्शा खुले मैदान में या गाँव के चौराहे में रंगोली के माध्यम से बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो सके

- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के नजरी नक्शे में गाँव की पारंपरिक सीमा,सीमावर्ती गाँव का नाम तथा आठों दिशाओं में अन्य पहचानने योग्य सीमा चिन्ह को विस्तार से दर्शाना
- नजरी नक्शे बनाने के दौरान इस बात का ध्यान रखना की पारम्परिक सीमा का राजस्व सीमा या कम्पार्टमेंट सीमा के अनुसार होना आवश्यक नहीं हैं।
  - सामुदायिक वन अधिकार के नजरी नक्शा में वन क्षेत्रों में चल रहें निम्नलिखित कार्य जैसेः-

क) निस्तार
ख) गौण वनोपज संग्रहण
ग) मछली, जलाशय का उपयोग
घ) चराई
क) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालको की पहुँच,
न) पीवीटीजी समुदाय के लिए प्राकृतिक वन /पूर्ववास की सामुदायिक विधियाँ।
छ) जैव विविधता, बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच ।

ज) अन्य पारंपरिक अधिकार (देवगुड़ी, मेला, इत्यादि) को विस्तार से दर्शाना तथा उनकी चौहद्दी लिखना

ज) अन्य पारंपरिक अधिकार (देवगुड़ी, मेला, इत्यादि) को विस्तार से दर्शाना तथा उनकी चौहद्दी लिखना

- नजरी नक्शे बनाने की प्रक्रिया को करते समय इस बात का ध्यान रखना की सामुदायिक अधिकार गाँव की परंपरागत सीमा के बाहर भी हो सकते है, क्योंकि यह सिर्फ उपयोग/ उपभोग के अधिकार हैं, परन्तु गौण वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार हैं
- वन अधिकार समिति द्वारा ग्राम सभा की अनुमति से दावा प्राप्त करना, सत्यापन करना, निष्कर्षों को लिखना और ग्राम सभा में प्रस्तुत करने सम्बन्धी कार्य

- ग्राम सभा की ओर से सामुदायिक दावों को तैयार करना, सत्यापन करना, ग्राम सभा में निर्णय हेतु प्रस्तुत करना
- **परिशिष्ट - क महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची:**

- वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा, गांव के बुजुर्गों, युवा महिलाओं, पंचायत प्रतिनिधियों एवं सीमावर्ती गांवों के साथ दावा प्रस्तुत करने से पूर्व अलग-अलग स्तरों में बैठकों का आयोजन करना ।

उद्देश

- वन अधिकार कानून के बारे में चर्चा करना
- गांव में वनाधिकार कानून के दावों के लिए बैठक प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका एवं महत्व को समझाना
- वनाधिकार कानून प्राप्त होने के बाद आने वाली चुनौतियां एवं उसके हल पर चर्चा करना

बैठक के आयोजन की प्रक्रिया

- वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा ग्राम सभा के सचिव के सहयोग से ग्राम सभा की बैठके आयोजित करना
- ग्राम पंचायत में निवासरत ग्रामीण मतदाता जिनमें प्रमुख गांव के बुजुर्गों, युवाओं , महिलाओं, पंचायत प्रतिनिधियों एवं सीमावर्ती गांवों के वनाधिकार समिति के सदस्यों को बैठक में शामिल करना
- बैठक आयोजन से पूर्व दिनांक, समय, स्थान, बैठक स्थल का चयन, बैठक व्यवस्था, पानी एवं शौचालय व्यवस्था, गांव से दूरी, उचित समय एवं तिथि का विशेष ध्यान रखना

बैठक की सूचना

- बैठक में भाग लेने वालों को एजेंडा, स्थान, दिनांक, समय की सूचना दो-तीन दिवस पूर्व देना
- बैठक की सूचना व्यक्तिगत संपर्क कर प्रदान करना

बैठक के दौरान चर्चा के लिए महत्वपूर्ण विषय

- वनाधिकार कानून 2006 अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन एवं सामुदायिक अधिकार की दावा प्रक्रिया एवं सावधानियों पर चर्चा करना
- बैठक के दौरान बैठक का उद्देश्य बताते हुए वन अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान कर विस्तार से समझाना और उनके बातों पर विचार करना
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं सामुदायिक अधिकार मिलने पर गांव को होने वाले फायदों से अवगत कराना और सामने आने वाली चुनौतियां पर चर्चा करना
- चर्चा के दौरान प्रमुख बातों को नोट करना
- बैठक निर्धारित समय पर प्रारंभ हो, इसका विशेष ध्यान रखना

समिति की बैठक के विभिन्न चरण

समिति की प्रथम बैठक:

- समिति द्वारा प्रथम बैठक कर कार्यों की सूची तैयार करना और अपने सदस्यों के मध्य विभिन्न जिम्मेदारियां को बाँटना
- कोर कमेटी का गठन एवं सदस्य संख्या ग्राम सभा के परामर्श अनुसार होगी कोर कमिटी के महत्वपूर्ण सदस्य निम्न लिखित में से हो सकते हैं

➢ जागरूक महिलाएं
➢ प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि
➢ जागरूक और जानकर बुजुर्ग सियान
➢ गाँव के पढ़े लिखे युवक/युवतियां /जागरूक सदस्य

- वाद्य /मांझी पटेल/पेरमा/ वड्डे/ गायता / वैद्द
- वन अधिकार समिति द्वारा (प्रपत्र- 5.ब1) को तैयार करना और सार्वजनिक स्थानों पर इस लोक सूचना को चस्पा करना
- अगली बैठक से पहले वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा कोर कमिटी के सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर मिलना तथा समिति की अगली बैठक में रहने हेतु आमंत्रित करना।
- सीमावर्ती गाँव को दावा प्रारंभ करने तथा नजरी नक्शा बनाने हेतु आयोजित बैठक में आमंत्रित करने हेतु सूचना तैयार करके सीमावर्ती ग्रामों को देने के लिए समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी देना तथा सूचना देने के बाद पावती लेना। (प्रपत्र- 5.सी - 5.ब1)

प्रपत्र 5.B1

सामुदायिक अधिकार / सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए लोकसूचना का नमूना प्रपत्र

ग्राम का नाम .....

लोकसूचना

1. यह लोकसूचना, ग्राम के सभी लोगों को सूचित करने के लिए है कि ग्राम सभा के पिछली बैठक दिनांक ..... में पारित प्रस्ताव के आधार पर सामुदायिक अधिकार/सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के लिए दावा दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

2. इस हेतु, हमारे ग्राम द्वारा पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली सभी सामुदायिक वन संसाधनों को सूचीबद्ध करने एवं ग्राम की परंपरागत सीमा का सीमांकन करने की आवश्यकता है।

3. वन अधिकार समिति को दावे तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कोर ग्रुप हेतु निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया है-

1. नाम ....., फोन/मोबाईल नं. .....
2. नाम ....., फोन/मोबाईल नं. .....
3. नाम....., फोन/मोबाईल नं. .....
4. नाम....., फोन/मोबाईल नं. .....
5. नाम....., फोन/मोबाईल नं. .....
6. नाम....., फोन/मोबाईल नं. .....
7. नाम....., फोन/मोबाईल नं. .....

.....

4. वन अधिकार समिति एवं कोर ग्रुप की प्रथम/आगामी बैठक दिनांक..... समय ..... एवं स्थान ..... में होगी।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति

सचिव, वन अधिकार समिति

प्रपत्र 5.C

सीमावर्ती ग्रामों को नज़री नक्शा तैयार करने हेतु सूचना

वन अधिकार समितिः..... (वन अधिकार समिति का नाम, यदि कोई हो)

ग्राम का नामः.....

सूचना की तिथिः.....

सूचना क्रमांकः.....

प्रति,

1. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
2. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
3. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
4. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
5. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....

विषयः सामुदायिक अधिकार तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु नज़री नक्शा तैयार करने हेतु।

महोदय / महोदया,

ग्राम..... (ग्राम का नाम) के ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प दिनांक ..... के अनुसार, हम, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु गाँव का नज़री नक्शा दिनांक ..... को .....बजे से तैयार करेंगे। इसी नज़री नक्शा के आधार पर सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु गाँव का दावा तैयार किया जायेगा।

अतः गाँव के FRC प्रतिनिधियों तथा ऐसे बुजुर्ग सदस्य एवं पारंपरिक मुखियाओ जैसे वैद्य, सिरहा, गुनिया, बरुआ, गायता, मांझी, पेरमा, वड्डे, पटेल, चरवाहे आदि को, जो की पारंपरिक सीमा का विस्तृत ज्ञान रखते हो, के साथ उपरोक्त दिनांक को निर्धारित समय पर उपस्थित रह इस कार्य में सहयोग एवं सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग....., जिला.....
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत....., जिला.....
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र.....
4. वनरक्षक, परिसर.....
5. पटवारी, हल्का क्रमांक.....
6. सरपंच/सचिव, ग्राम.....
7. ग्राम प्रमुख, पटेल, गायता .....

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति

सचिव, वन अधिकार समिति

समिति की दूसरी बैठक

वन अधिकार समिति द्वारा कोर कमिटी के सदस्यों और सीमावर्ती ग्रामों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ग्राम की पारंपरिक सीमा तथा वन संसाधनों पर विस्तार से चर्चा कर निम्नलिखित कार्यो को करना :

- कोर कमेटी तथा गाँव के अन्य सदस्यों की सहायता से फार्म ख एवं ग के लिए एक साथ अथवा अलग नजरी नक्शा तैयार करना
- नोट: प्रारूप- 'ग' के लिए: **CFRR** के अंतर्गत पारम्परिक सीमा की चौहद्दी तथा सीमावर्ती गाँव की स्थिति तथा दिशाओं को दर्शाना
- सीमावर्ती गाँव को पारंपरिक सीमा का GPS हेतु सूचना देना (RoFRA /प्रपत्र- 5G)
- स्थल सत्यापन हेतु वन विभाग / राजस्व विभाग को सूचना (RoFRA /प्रपत्र- 5E)
- स्थल सत्यापन हेतु उपखंड स्तरीय समिति (SDLC) को सूचना (RoFRA /प्रपत्र- 5F)
- स्थल सत्यापन हेतु ग्राम को लोक सूचना (RoFRA /प्रपत्र- 5H)
- यदि सीमावर्ती ग्राम के साथ गाँव के पारंपरिक सीमा का निर्धारण हो जाये तो वन अधिकार समिति द्वारा अपने सदस्यों को निम्न जिम्मेदारी सौंपना और सभी स्तर पर पावती लेना
- यदि गाँव के सीमा निर्धारण में किसी तरह का संशय हो तो संयुक्त रूप से स्थल भ्रमण के द्वारा तथा कोर कमेटियों की बैठक के जरिये किसी समाधान में पहुँचाने का प्रयास करना

परिशिष्ट 5.1

प्ररूप-ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

{नियम 11(1)(क) और (4) देखें}

1. दावेदार (रों) का/के नाम :
   - क. एफडीएसटी समुदाय: हां/नहीं
   - ख. ओटीएफडी समुदाय : हां/नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप:-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो:
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार
   - क. उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो:
   - ख. चरने हेतु, यदि कोई हो :
   - ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों,
   (अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)
4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (ड.) देखें)
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो:
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ट) देखें)
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य :
   (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) के

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

परिशिष्ट 5.2

प्ररूप-ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

{अधिनियम की धारा 3(1)(झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिए}

1. ग्राम/ग्राम सभा:

2. ग्राम पंचायत:

3. तहसील/तालुक:

4. जिला:

5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम, इस ग्राम सभा के अद्योहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3(1)(झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता की दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनरूज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे है, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दे कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है।)

6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो:

7. सीमा से लगते हुए ग्राम:

i.

ii.

iii.

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिए)

दावेदार (दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान:

प्रपत्र 5.E

वन / राजस्व विभाग को दावों के स्थल सत्यापन के पूर्व सूचित करने हेतु सूचना पत्र का नमूना

वन अधिकार समिति (वन अधिकार समिति के नाम, यदि हो तो)

ग्राम का नामः .....

सूचना का दिनांकः .....

सूचना क्रमांकः .....

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी (वन विभाग) / राजस्व निरीक्षक या पटवारी (राजस्व विभाग)

अनुविभाग का नाम.....

विषयः- वन अधिकार दावों का सत्यापन।

महोदय / महोदया,

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के कंडिका 11(2)(IV) एवं 12 के आवश्यकताओं के अनुसार, आपको यह सूचित किया जाता है कि ग्राम ..... की वन अधिकार समिति, सामुदायिक अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार हेतु दावे, दावा प्रारूप 'ख' एवं 'ग' में तैयार करने एवं सत्यापन करने जा रही है।

आपसे निवेदन है कि दिनांक..... को ..... (स्थान) में होने वाली सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का कष्ट करें एवं आपके बहुमूल्य सुझाव प्रदान करें। कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना देने का कष्ट करें।

संलग्न- वन अधिकार समिति द्वारा तैयार की गई सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति

सचिव, वन अधिकार समिति

प्रतिलिपिः-

1. उपखण्ड स्तरीय समिति, उपखंड……...

2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र……..……...

3. राजस्व निरीक्षक……...

प्रपत्र 5.F

उपखण्ड स्तरीय/जिला स्तरीय समिति को सूचित करने के लिए सूचना पत्र का नमूना

वन अधिकार समिति (वन अधिकार समिति के नाम, यदि हो तो)

ग्राम का नामः .....

सूचना का दिनांकः .....

सूचना क्रमांकः .....

प्रति,

उपखण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति

अनुविभाग / जिला का नाम.....

विषयः- सामुदायिक अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावों के सत्यापन प्रारंभ करने बाबत्।

महोदय / महोदया,

हमारे ग्राम ..... (ग्राम का नाम) की वन अधिकार समिति, सामुदायिक अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु दावे तैयार करने एवं उनके सत्यापन की योजना बना रही है। सीमाओं के निर्धारण के साथ दावों का सत्यापन दिनांक ..... को .....(समय) बजे ..... (स्थान) में किया जाएगा। दावों के सत्यापन में वन एवं राजस्व विभाग के सहयोग और समर्थन भी लिया जावेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी (वन विभाग) / राजस्व निरीक्षक या पटवारी (राजस्व विभाग) को इस बाबत् पृथक से पत्र लिखा जा चुका है।

हमारा, आपसे निवेदन है कि राजस्व एवं वन विभाग के सक्षम अधिकारियों की उपलब्धता हेतु उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि दावों के सत्यापन के समय उनके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हो सके।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना देने का कष्ट करें।

संलग्न- वन अधिकार समिति द्वारा तैयार की गई सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति

सचिव, वन अधिकार समिति

प्रतिलिपिः-

1. उपखण्ड स्तरीय समिति, उपखंड ……./जिला स्तरीय समिति, जिला……..

2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र……..

3. राजस्व निरीक्षक,.....

.

प्रपत्र 5.G

सीमावर्ती ग्रामों के ग्राम सभाओं को सामुदायिक अधिकार के सीमांकन के लिए पत्र का नमूना

ग्राम का नामः .....

सूचना का दिनांकः .....

सूचना क्रमांकः .....

प्रति,

अध्यक्ष महोदय,

वन अधिकार समिति, ग्राम .....

वन अधिकार समिति, ग्राम .....

विषयः- सामुदायिक वन संसाधन का निर्धारण बाबत्।

महोदय / महोदया,

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 11 की कंडिका (2) के अनुसार आपको सूचित किया जाता कि ग्राम ..... की ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधन का निर्धारण दिनांक ..... को ..... (समय) करने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ग्राम में रहने वाला समुदाय इन संसाधनों का उपयोग करते आ रहें है / इन पर निर्भर हैं, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि कृपया सत्यापन एवं निर्धारण की प्रक्रिया के समय की उन सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करें, यदि ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर(दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति

सचिव, वन अधिकार समिति

प्रतिलिपिः-

1. उपखण्ड स्तरीय समिति, उपखंड……...
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र……...
3. राजस्व निरीक्षक,.....

प्रपत्र 5.H

सीमा निर्धारण के लिए लोकसूचना हेतु नमूना

ग्राम का नामः .....

<u>लोकसूचना</u>

1. एतद् द्वारा ग्राम के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि वन अधिकार समिति, ग्राम की परंपरागत सीमा को रेखांकित करने हेतु सीमा निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के साथ ही सामुदायिक वन संसाधनों के उपयोग हेतु, उनकी पहचान, सूची बनाने एवं सत्यापित करने की कार्यवाही करने जा रही है। यह कार्य दिनांक ..... को .....(समय) किया जाएगा। आप सभी इस प्रक्रिया में भाग लेने एवं सामुदायिक वन संसाधनों के परंपरागत उपयोग के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने हेतु आमंत्रित हैं।

2. इस पूरी प्रक्रिया में, हम, आपके सहयोग और सहभागिता हेतु निवेदन करते हैं।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति

सचिव, वन अधिकार समिति

पारंपरिक सीमा हेतु GPS तथा समिति की तृतीय

- पिछली बैठक में तय की गयी तिथि के दिन कोर कमिटी, ग्राम सभा के अन्य सदस्यों तथा सीमावर्ती ग्राम के सदस्यों तथा वन रक्षक /पटवारी की सहायता से गाँव के पारंपरिक सीमा का स्थल सत्यापन जीपीएस द्वारा करना
- स्थल सत्यापन रिपोर्ट तैयार करना और वन रक्षक तथा पटवारी के हस्ताक्षर उस पर सुनिश्चित करना
- सीमावर्ती ग्राम के बुजुर्गों का कथन तैयार करवाना और उस पर उनके हस्ताक्षर सुनिश्चित करवाना
- सीमावर्ती ग्राम के वन अधिकार समिति से अनापत्ति पत्र पर सील सहित हस्ताक्षर सुनिश्चित करवाना (RoFRA /प्रपत्र- 5 I)

प्रपत्र 5.I

साथ लगे हुए ग्रामों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का नमूना

ग्राम का नामः .....(अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे ग्राम का नाम)

सूचना का दिनांकः .....

सूचना क्रमांकः .....

प्रति,

अध्यक्ष महोदय,

वन अधिकार समिति, ग्राम .....

(सामुदायिक अधिकार / सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु दावे प्रस्तुत करने वाले ग्राम का नाम)

विषयः- सामुदायिक वन संसाधनों के लिए परंपरागत सीमाओं का सत्यापन।

महोदय / महोदया,

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने, आपके ग्राम .....(दावा करने वाले ग्राम का नाम) के परंपरगत सीमाओं के निर्धारण के लिए सीमांकन प्रक्रिया में भाग लिया। प्राप्त जानकारी के आधार पर, हमने यह पाया कि निम्नलिखित क्षेत्र, अधिव्यापित (overlap) क्षेत्र हैं-

आपके ग्राम .....(दावा करने वाले ग्राम का नाम) द्वारा, हमारे ग्राम ....(अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे ग्राम का नाम) की परंपरागत सीमा में आने वाले सामुदायिक वन संसाधनों की सूची, हमारे ग्राम द्वारा, सामुदायिक वन संसाधन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली दावे में/जारी किए जाने वाले वन अधिकार पत्र में विधिवत परिलक्षित हो रही है / होंगी।

1. .....(सामुदायिक वन संसाधन एवं उनसे संबंधित स्थान की सूची)

2. .....

3. .....

हमारे ग्राम .....(अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे ग्राम का नाम) द्वारा, आपके ग्राम ....(दावा करने वाले ग्राम का नाम) की परंपरागत सीमा में आने वाले सामुदायिक वन संसाधनों की सूची, जिसका उपयोग हमारे ग्राम द्वारा किया जा रहा है निम्नानुसार है:

1. .....(सामुदायिक वन संसाधन एवं उनसे संबंधित स्थान की सूची)

2. .....

आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दावे/जारी किए जाने वाले सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र में इन सामुदायिक वन संसाधनों को विधिवत परिलक्षित करने का कष्ट करें।

हमारे ग्रामों के बीच परंपरागत सीमाओं को लेकर, हमारे बीच कोई विवाद लंबित नहीं है।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति सचिव, वन अधिकार समिति

(दावा करने वाले ग्राम के वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा समर्थन)

प्रतिलिपिः- 1. उपखण्ड स्तरीय समिति, उपखंड ……..

2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र……...

3. राजस्व निरीक्षक…….

समिति की चतुर्थ बैठक

- प्रारूप - 'ख' और 'ग' हेतु मतदाता सूची की सहायता से दावेदारों की सूची तैयार करवाना तथा उनके हस्ताक्षर लेना |
- प्रारूप - 'ख' से संबंधित सभी जानकारी को निश्चित प्रारूप में विस्तृत रूप से भरना
- दस्तावेजों को अंतिम रूप देना एवं सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चेक लिस्ट की सहायता से उपलब्धता सुनिश्चित करना

सभी दस्तावेजों को क्रमवार सजाकर ग्राम सभा आयोजन हेतु सरपंच,ग्राम सभा अध्यक्ष को पत्र लिखना और पंचायत सचिव को दावा पत्र के अनुमोदन हेतु ग्राम सभा करवाने हेतु सूचित करना

शासन के विभिन्न मैदानी अमलों के साथ बैठक

- पटवारी, पंचायत सचिव, वन विभाग के वन रक्षक एवं वन अधिकारी से संपर्क एवं चर्चा कर बैठक हेतु संभावित तिथि की सहमति लेना।
- बैठक की तिथि निश्चित कर आमंत्रण की सूचना देना।
- बैठक स्थान, समय के निर्धारण पर चर्चा करना।
- ग्राम स्तरीय मैदानी अमलों से संपर्क करना ।
- स्थानिय ग्रामीणों से वन अधिकार दावे के लिए चर्चा करना।

परिशिष्ट - क महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची:

- चेक लिस्ट
- ग्राम सभा द्वारा SDLC को सामुदायिक वन अधिकार का दावापत्र सौंपने बाबत पत्र । (इस पर पावती लेना अनिवार्य है)
- प्रारूप- 'ख' विवरण सहित
- प्रारूप- 'ग' विवरण सहित
- दावेदारों की हस्ताक्षरित सूची
- मतदाता सूची की छायाप्रति (पंचायत सचिव / सरपंच द्वारा सत्यापित)
- नजरी नक्शा:- फार्म ख एवं ग के लिए एक साथ अथवा अलग-अलग (बीटगार्ड, पटवारी तथा सीमावर्ती ग्राम के वन अधिकार समिति की मोहर सहित हस्ताक्षर)
- पारंपरिक सीमा का जीपीएस नक्शा: रकबे के विवरण के साथ (बीटगार्ड, पटवारी तथा सीमावर्ती ग्राम के वन अधिकार समिति के हस्ताक्षर और मोहर सहित)
- साक्ष्य - 1 : सीमावर्ती ग्राम के बुजुर्गों का कथन (फार्म ख एवं ग के लिए एक साथ अथवा अलग-अलग तथा उनके हस्ताक्षर सहित)
- साक्ष्य - 2 : नियम 13 के अंतर्गत कोई एक साक्ष्य दस्तावेज
- सामुदायिक वन अधिकारों हेतु वन अधिकार समिति के गठन / पुनर्गठन तथा दावा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के ग्राम सभा आयोजित करने हेतु सूचना पत्र - (RoFRA /प्रपत्र -5.A1 या 5.A2)
- प्रारंभिक ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर की सत्यापित छायाप्रति ।
- ग्राम सभा द्वारा दावा प्रारंभ करने की सूचना SDLC को देना होगा (RoFRA /प्रपत्र - 5.A)
- वन अधिकार समिति की प्रथम बैठक के कार्यवाही का विवरण ।
- कोर कमिटी के गठन की लोक सूचना । (RoFRA /प्रपत्र - 5.B1)
- सीमावर्ती ग्रामों को दावा प्रारंभ करने की सूचना की पावती (RoFRA /प्रपत्र - 5.B)

- सीमा विवाद की स्थिति में सीमावर्ती ग्रामों के वन अधिकार समितियों के साथ संयुक्त बैठक बाबत सूचना पत्र की पावती
- सीमा विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक की कार्यवाही विवरण ।
- सीमावर्ती ग्रामों को नजरी नक्शा बनाने हेतु सूचना पत्र की पावती (RoFRA /प्रपत्र - 5.C)
- सीमावर्ती ग्रामों को पारंपरिक सीमा निर्धारण हेतु जीपीएस करने की सूचना की पावती (RoFRA /प्रपत्र - 5.G)
- स्थल सत्यापन हेतु वन विभाग / राजस्व विभाग को सूचना की पावती (RoFRA /प्रपत्र - 5.E)
- स्थल सत्यापन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति को सूचना की पावती (RoFRA /प्रपत्र - 5.F)
- स्थल सत्यापन हेतु लोक सूचना (RoFRA /प्रपत्र - 5.H)
- हस्ताक्षरित स्थल सत्यापन रिपोर्ट।
- सभी सीमावर्ती ग्रामों के वन अधिकार समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र। (RoFRA /प्रपत्र - 5.I)
- वन अधिकार समिति द्वारा दावापत्र को ग्राम सभा को सौंपने बाबत सूचना पत्र की पावती।
- ग्राम सभा द्वारा दावापत्र के अनुमोदन की कार्यवाही विवरण।
- वन अधिकार समिति की सभी बैठकों के कार्यवाही विवरण की सत्यापित छायाप्रति।

प्रपत्र 5.A

दावा प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उपखण्ड स्तरीय / जिला स्तरीय समिति को दिए जाने वाले सूचना पत्र का नमूना

वन अधिकार समितिः.....(वन अधिकार समिति का नाम, यदि कोई हो)
ग्राम का नामः.....
सूचना की तिथिः.....
सूचना क्रमांकः.....
प्रति,

उपखण्ड स्तरीय समिति / जिला स्तरीय समिति

.....(उपखण्ड / जिला का नाम)

विषयः वन अधिकार दावों के मान्यता की प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना एवं साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने वाले उचित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निवेदन।

महोदय / महोदया,

ग्राम..... (ग्राम का नाम) के ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प दिनांक ..... के अनुसार, हम, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु दावे तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। यह दावे दिनांक ..... से दिनांक ..... तक तैयार कर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इन दावों को पूर्ण रूप से तैयार करने हेतु निम्नलिखित जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करेंः

1. मतदाता सूची।
2. अधिकार अभिलेख जैसे निस्तार पत्रक, सर्वे एवं वन विभाग का बंदोबस्त रिकार्ड।
3. हमारे ग्राम की राजस्व विभाग से संबंधित नक्शे एवं अभिलेख।
4. हमारे क्षेत्र के लिए वन विभाग की कार्ययोजना।
5. हमारे ग्राम से संबंधित, वन/राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई सूक्ष्म योजना एवं अन्य जानकारी।
6. कोई अन्य जानकारी/अभिलेख, जिन्हें वन अधिकार दावों के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति सभापति, ग्राम सभा सचिव, वन अधिकार समिति

प्रपत्र 5.B

सीमावर्ती ग्रामों को सूचना देने हेतु नमूना

वन अधिकार समितिः..... (वन अधिकार समिति का नाम, यदि कोई हो)
ग्राम का नामः.....
सूचना की तिथिः.....
सूचना क्रमांकः.....

प्रति,

1. सचिव, ग्राम सभा.....
2. सचिव, ग्राम सभा.....
3. सचिव, ग्राम सभा.....
4. सचिव, ग्राम सभा.....
5. सचिव, ग्राम सभा.....

विषयः वन अधिकार दावों के मान्यता की प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार हेतु सीमाओं के निर्धारण में सहयोग प्रदान करने हेतु निवेदन।

महोदय / महोदया,

ग्राम..... (ग्राम का नाम) के ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प दिनांक ..... के अनुसार, हम, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु दावे तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। यह दावे दिनांक ..... से दिनांक ..... तक तैयार किए जाएंगे। हम जल्द ही सामुदायिक वन संसाधनों की सूची एकत्र कर हमारे ग्राम की परंपरागत सीमा का सीमांकन करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कार्य में सहयोग एवं सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न : 1. वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों की सूची।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
2. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
3. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
4. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
5. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति सभापति, ग्राम सभा सचिव, वन अधिकार समिति

प्रपत्र 5.C

सीमावर्ती ग्रामों को नज़री नक्शा तैयार करने हेतु सूचना

वन अधिकार समितिः..... (वन अधिकार समिति का नाम, यदि कोई हो)

ग्राम का नामः.....

सूचना की तिथिः.....

सूचना क्रमांकः.....

प्रति,

6. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
7. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
8. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
9. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....
10. अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, ग्राम.....

विषयः सामुदायिक अधिकार तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु नज़री नक्शा तैयार करने हेतु।

महोदय / महोदया,

ग्राम..... (ग्राम का नाम) के ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प दिनांक ..... के अनुसार, हम, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु गाँव का नज़री नक्शा दिनांक ..... को ……..बजे से तैयार करेंगे। इसी नज़री नक्शा के आधार पर सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु गाँव का दावा तैयार किया जायेगा।

अतः गाँव के FRC प्रतिनिधियों तथा ऐसे बुजुर्ग सदस्य एवं पारंपरिक मुखियाओ जैसे वैद्य, सिरहा, गुनिया, बरुआ, गायता, मांझी, पेरमा, वड्डे, पटेल, चरवाहे आदि को, जो की पारंपरिक सीमा का विस्तृत ज्ञान रखते हो, के साथ उपरोक्त दिनांक को निर्धारित समय पर उपस्थित रह इस कार्य में सहयोग एवं सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:

8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग……., जिला……
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत……., जिला……
10. वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र…….
11. वनरक्षक, परिसर……..……
12. पटवारी, हल्का क्रमांक……...
13. सरपंच/सचिव, ग्राम……..
14. ग्राम प्रमुख, पटेल, गायता ……

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

अध्यक्ष, वन अधिकार समिति

सचिव, वन अधिकार समिति

अध्याय -पंचम

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत संस्थागत ढांचा

501-वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत विभिन्न समितियां

502-उपखंड स्तरीय समिति एवं उनके कार्य

503- जिला स्तरीय समिति एवं उनके कार्य

504-राज्य स्तरीय निगरानी समिति एवं उनके कार्य

501: वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत विभिन्न स्तर की समितियां

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर तक निम्नानुसार समितियां गठित हुई हैं :

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

उपखंड स्तरीय निगरानी समिति

वन अधिकार समिति

उपखंड स्तरीय समिति अनुविभागीय स्त र पर गठित की जाती है:

अनुविभागीय स्तरीय समिति (SDLC) में निम्नानुसार छ: सदस्य तय किये गए हैं :

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व): अध्यक्ष
2. अनुविभागीय अधिकारी (वन): सदस्य
3. आदिवासी विभाग का अनुविभागीय स्तरीय अधिकारी: सदस्य-सचिव
4. तीन वन में निवास करने वाले जनपद सदस्य / जिला पंचायत द्वारा नामांकित किए जाएंगे जो निम्न प्रकार से होंगे:

- दो सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे
- एक सदस्य अनिवार्य रूप से महिला होंगी
- जिन जनपद क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजाति (PVTG) समूह, कृषि-पूर्व समुदाय (PAC), चरवाहे और घुमंतू जनजातियां निवास करती है, उनका भी प्रतिनिधित्व उक्त तीन में होना अनिवार्य होगा।

समिति के कार्य एवं दायित्व

- ऐसे पेड़, पौधे, जीव-जन्तु, वन्यजीव, वन, और जैव-विविधता जिनको सुरक्षित और संरक्षित रखने की आवश्यकता है, उनके संबंध में अनुविभागीय समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा व वन अधिकार प्राप्तकर्ता को वन संसाधनों के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र एवं मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी ।
- ग्राम सभाओं के संकल्पों, मानचित्रों, दस्तावेजों को जमा किया जाएगा।
- दावों के निर्धारण के लिए ग्राम सभाओं के निर्णय के बीच उठे विवादों पर सुनवाई और निर्णय लिए जाएंगे।

- वन अधिकारों की प्रकृति/स्वरूप और सीमा के सम्बन्ध में ग्राम सभाओं के बीच उठे विवादों पर सुनवाई और निर्णय लिए जाएंगे।
- ग्राम सभाओं के संकल्प से असंतुष्ट व्यक्तियों और सरकारी विभागों की अपीलों पर सुनवाई करेगी।
- दो या उससे अधिक अनुविभागी के बीच दावों के लिए अनुविभागीय समितियों के सदस्यों के साथ समन्वय करेगी
- सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य बैठाने के बाद तहसील या ब्लाकवार प्रस्तावित वन अधिकारों के अभिलेखों के प्रारूप तैयार किए जाएंगे।
- अंतिम निर्णय के लिए अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेखों के साथ दावों को भेजा जाएगा।
- वन अधिकार अधिनियम, नियम एवं प्रक्रियाओं पर जागरूकता पैदा करेगी तथा दावेदारों को दावा प्रारूप निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- यह तय किया जाएगा कि ग्राम सभाएं अपेक्षित कोरम की उपस्थिति में बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से आयोजित की जा रही हैं।

जिला स्तर पर गठित जिला स्त रीय समिति (DLC) में निम्नानुसार छ: सदस्य होंगे:

1. कलेक्टर : अध्यक्ष
2. वन मंडल अधिकारी: सदस्य
3. आदिवासी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी: सदस्य-सचिव
4. तीन वन में निवास करने वाले जिला पंचायत सदस्य नामांकित किए जाएंगे जो निम्न प्रकार से होंगे:

- दो सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे
- एक सदस्य अनिवार्य रूप से महिला होंगी।
- जिन जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG), कृषि-पूर्व समुदाय(PAC),चरवाहे और घुमंतू जनजातियां निवास करती हैं, वहां की जिला स्तरीय समिति (DLC) में उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

समिति के कार्य एवं दायित्व

- समिति यह तय करेगी कि ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र, मतदाता सूची एवं साक्ष्य सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं।
- समिति यह परिक्षण करेगी कि सभी दावों को आदिम जनजातीय समूहों, पशु चरवाहों और घुमंतू जनजातियों के दावों का विशेषकर अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निराकरण किया गया है।
- अभिलेखों को अंतिम रूप देने के तुरन्त बाद वन अधिकारों का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाएगा।
- समिति यह तय करेगी कि अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के अभिलेखों की प्रमाणित प्रति सम्बंधित दावेदारों और ग्राम सभा को उपलब्ध कराई गई है।

- यह भी तय किया जाएगा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और हक के अभिलेखों की प्रमाणित प्रति सम्बंधित ग्राम सभा/समुदाय को दे दी गई है।
- ग्राम सभाओं के समक्ष चारागाहियों, जगह बदलने वाले और घुमंतू समुदायों को दावा करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल करते हुए उसमें सहयोग करेगी ।
- यह भी तय किया जाएगा कि सामुदायिक वन संसाधनों का संरक्षण, पुर्नजनन, प्रबंधन या परिक्षण से संबंधित वन अधिकार पर जिनके पारम्परिक रूप से सतत् उपयोग, संरक्षण, परिक्षण एवं प्रबंधन के लिए सभी ग्रामों के वनवासियों को मान्यता दे दी गई है, और हक पत्र जारी कर दिए गए हैं।
- जिला स्तरीय समिति के सचिव द्वारा किसी भी गांव में सी.एफ.एफ.आर. की मान्यता नहीं दिए जाने की स्थिति में उनके कारणों को संधारित किया जाएगा।

504:राज्य स्तरीय निगरानी समिति एवं उनके कार्य

राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन अधिनियम के प्रावधान अनुसार किया जाएगा और समिति वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहित करने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। समिति तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अधिनियम में उल्लेखित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। समिति में कुल 10 सदस्य होंगे:

1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष,
2. सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य,
3. सचिव, जनजातीय या समाज कल्याण विभाग - सदस्य,
4. सचिव, वन विभाग - सदस्य,
5. सचिव, पंचायती राज - सदस्य,
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य,
7. जनजातीय सलाहकार परिषद के तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य होंगे
   - इन 3 सदस्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाएगा
   - जहाँ कोई जनजातीय सलाहकार परिषद् नहीं है, वहाँ राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य होंगे।
8. आयुक्त, जनजातीय कल्याण या समतुल्य जो सदस्य-सचिव होगा।

समिति के कार्य एवं दायित्व

- अधिकारों की मान्यता, सत्यापन एवं अधिकार पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।
- तीन माह में कम से कम एक बार प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी।
- निर्धारित प्रारूप में लंबित दावे, अनुमोदित दावों का विवरण तथा खारिज करने के कारणों के साथ तिमाही प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रेषित की जाएगी।

- ग्राम सभा के प्रस्ताव से सम्बंधित विवाद के मामले या उच्च अधिकारी के विरुद्ध ग्राम सभा द्वारा किसी प्रस्ताव के माध्यम से शिकायत किये जाने पर ग्राम सभा द्वारा 60 दिन के भीतर सुनवाई करेगी तथा सम्बंधित के दोषी पाए जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी और 1000 रू/- तक का दंड लगा सकेगी
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों में इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त वन अधिकारों के पुनर्स्थापन की निगरानी की जाएगी।

अध्याय -षष्टम

मैदानी हितधारकों की भूमिका

601-महत्वपूर्ण हितधारक एवं उनकी भूमिका

602-वनरक्षक की भूमिका

603- पटवारी की भूमिका

604- पंचायत सचिव की भूमिका

605- सत्यापन समूह

महत्वपूर्ण ग्रामीण हितधारक एवं उनकी भूमिका

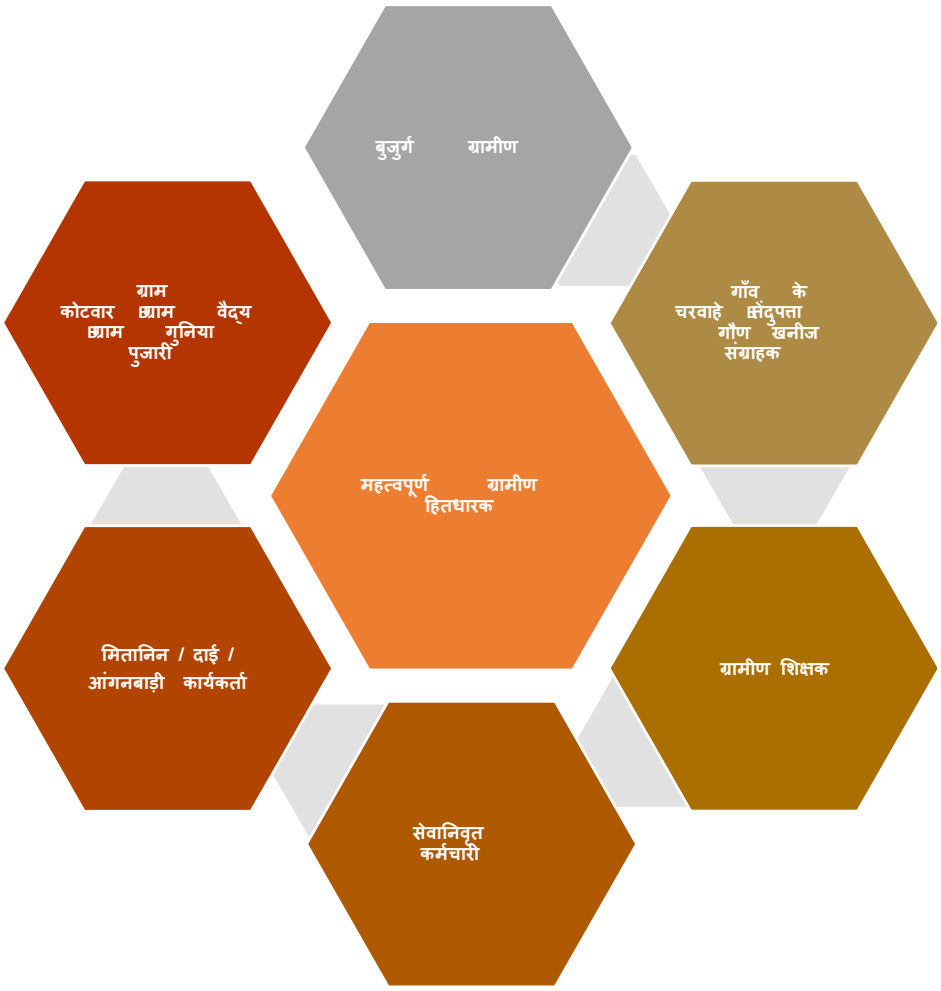

बुजुर्ग हितधारक एवं उनकी भूमिका

- परिवार और गाँव के लोगों से निरंतर चर्चा करते हैं, अतः ग्रामीण व्यवस्था, स्थलों एवं पारंपरिक रिवाजों के जानकार होते हैं।
- गाँव में निस्तार की जानकारी होती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र की सीमाएँ पहचानते हैं। ग्राम के लिए उपयोगी संसाधनों, उनकी आपूर्ति के स्थानों को बेहतर जानते व समझते हैं।

- स्थानीय होने के कारण स्थानीय लोगों की समझ और उनकी उपयोगिता को पहचानते हैं।
- पूर्व एवं वर्तमान की व्यवस्था में तालमेल बैठाने के लिए उनका ज्ञान उपयोगी होता है।

बुजुर्ग हितधारक की पहचान

- ग्रामीणों से संपर्क करने से पता चल जाता है।
- गांव में सबसे अलग पहचान होती है।
- आधार कार्ड एवं राशन कार्ड द्वारा भी पता लगाया जा सकता है।

गाँव के चरवाहों की भूमिका

- लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव में ही रहकर यहाँ के जन-जीवन में रचे बसे रहते है।
- बुजुर्गों से गाँव का इतिहास जानते है।
- क्षेत्र की बेहतर पहचान रखते है।
- चारागाह व वनों की जानकारी भी रखते है।
- ग्रामीण क्षेत्र में जानवरों के चारे के लिए चारागाह की तलाश करते है।
- जानवरों को ग्राम के आस-पास जंगल में लेकर चराई करवाना, पानी पिलाना यह सब चरवाहों का ही कार्य है।
- इन्हें जंगल और गाँव की सीमा की बेहतर पहचान होती है, जैसे कहाँ पर कौन से पेड़-पौधे है।
- किस क्षेत्र में कौन से जानवर और कौन-कौन से पशु-पक्षी मिलते है।
- जंगल के संसाधनों के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है।
- जंगल में मिट्टी कैसी है, कहाँ चट्टान है और कहाँ रेतीली है।
- ग्रामीण क्षेत्र के भौगोलिक ज्ञान इनके पास पर्याप्त होते है।

गाँव के चरवाहों की पहचान

- ग्रामीण जनों से इनकी पहचान गाँव में की जा सकती हैं।
- सुबह से शाम तक पालतू पशुओं को चराते और हाँकते हुए देखे जा सकते है।

ग्रामीण शिक्षकों की भूमिका

- ग्रामीण शिक्षकों को शासकीय विभागों की समझ होती है।
- नियम कानून की समझ रखते है,शिक्षित होते हैं।ज्यादातर किशोर व युवा तथा उनके माता पिता गुरूजी की कोई बात नहीं काटते है।
- गुरूजी के समझाने पर लोगों को संसाधनों की पहचान, मैपिंग और बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जा सकता हैं ।
- शिक्षकों को लोगों के साथ चर्चा करने व समझाने की कला होती है।
- ग्राम और सरकारी विभाग के मध्य सेतु का कार्य करते है।

ग्रामीण शिक्षकों की पहचान

- स्थानीय स्कूलों में जाकर
- बच्चों के माध्यम से ग्राम में सभी लोग गुरूजी के नाम से पहचानते है।

सेवानिवृत कर्मचारियों की भूमिका

- शासन में लम्बे समय से कार्य करने के कारण शासकीय नियम कायदे कानून का पूर्ण ज्ञान होता है।
- सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी इस कार्य में शासन के साथ कड़ी बनाने में बहुत उपयोगी हो सकते है।
- उन्हें शासन की प्रक्रियाओं, अपेक्षाओं कार्यों का भली-भांती ज्ञान होता है।

- शासकीय कार्य करने के कारण उन्हें शासन के आचार संहिता की समझ होती है।
- कानूनी शब्दावली को काफी हद तक समझते हैं, तथा साथ ही साथ दूसरों को समझाने की क्षमता भी रखते हैं।
- विभिन्न सभाओं व बैठकों में ग्रामीण जन इनके ज्ञान को सम्मान देते हैं और इनकी बात मानते है।

सेवानिवृत कर्मचारियों की भूमिका

- ग्रामीण क्षेत्र में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जानकारी प्रायः आमजनों को होती है, ग्राम में सभी एक-दूसरे को जानते हैं।
- उनका पहनावा आम लोगों से बेहतर होता है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग की जमीनी कार्यकर्ता होती है।
- इसका विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आना जाना होता है।
- अधिकारियों से काम के सन्दर्भ में मिलते रहते हैं और विभागों में चल रहे कार्यों की जानकारी रखते है।
- आंगनबाड़ी में पोषण आहार व बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए महिलाओं से लगातार संपर्क में रहते है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ग्रामीण महिलाओं से अच्छी दोस्ती/पहचान हो जाती है।
- ग्राम सभा व विभिन्न बैठकों में इनके माध्यम से महिलाओं को प्रेरित किया जा सकता है।
- बैठक संबंधित चर्चा और एजेंडों को इनके द्वारा महिलाओं के घर-घर पहुंचाया जा सकता है।

- महिलाओं के सलाहकार की भूमिका में होती है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पहचान

- प्रायः ग्रामीण जन ग्राम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पहचानते हैं।
- आंगनबाड़ी भवन में जाकर भी उन्हें संपर्क किया जा सकता है।
- इन्हें समय समय पर ग्राम में होने वाली बीमारीयों की जानकारी होती है।

मितानिन /दाई की भूमिका

- महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मितानीन/दाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है।
- ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।
- ग्राम के परिवारों की पर्याप्त जानकारी होती है।

मितानिन दाई की पहचान की पहचान

- घरों के बाहर लिखा होता है, तथा ग्राम के मूल निवासी होते है।
- ग्रामवासी और परिवार सभी इन्हें पहचानते है।
- मितानीन/दाई स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण प्रतिनिधि की भूमिका में स्वयं सेवक के रूप में होते है।

ग्राम कोटवार की भूमिका

- पुलिस व राजस्व विभाग का एक ग्रामीण स्वयं सेवक होता है।
- इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जाता है।
- नई सूचना की जानकारी को इनके द्वारा गाँव में मुनादी करवाकर दी जाती है।

- यह कार्य इनके पुर्वजों के द्वारा भी किया जाता रहा है।
- ये ग्रामीण सीमाओं और गाँव की भौगोलिक जानकारी रखते है।
- ग्राम के लोगों में किसके पास कितनी भूमि, कौन सा फसल, कितना उत्पादन व अन्य संसाधनों की पर्याप्त जानकारी होती है।

ग्राम कोटवार की पहचान

- ग्राम के कोटवार की जानकारी गाँव के लोगों को होती है।
- इनको नीली वर्दी में देखा जा सकता है, उपर नीली शर्ट और हाप/फूल पेंट पहनते हैं।
- इन्हें सेवा करने के बदले जीवन यापन के लिए सरकार के द्वारा सेवा भूमि प्राप्त होती है।

ग्राम वैद्य की भूमिका

- आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के संकलन के लिए जंगलों में घूमते है।
- दिन और रात में भी जंगलों में जाते है।
- इन्हें जंगलों की सीमाओ/पेड़-पौधे जंगली जानवरों के स्थान और जंगली संसाधनों और उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता की जानकारी होती है।
- प्राचीन समय से वैद्य लोगों का गाँव में निवास रहता है।
- गाँव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी सम्मान करते हैं, और बात मानते है।
- वैद्य लोगों को भी गाँव के लोगों के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है।
- वनोपज व विभिन्न संसाधनों की जानकारी होती है।
- वनों के प्राचीन सीमाओं की पहचान रखते हैं।

ग्राम वैद्य की पहचान

- ग्रामीण जनों को ग्राम वैद्य की जानकारी होती है।

ग्राम गुनिया /पुजारी की भूमिका

- ग्राम देवताओं के पूजा पाठ की व ग्राम के धार्मिक रीति रिवाजों को संचालित किया जाता हैं।
- इन्हें ग्राम व जंगल क्षेत्र में आने वाले देवी देवताओं की समझ व जानकारी होती है।
- ग्राम के देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के कारण इन्हें ग्राम व जंगल की प्राचीन सीमाओं की जानकारी होती है।
- ग्रामीण क्षेत्र के सीमा में आने वाली देवी देवताओं और इससे संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सकते है।
- पुराने पेड़-पौधों व सीमाओं को पहचान करने के लिए मदद ले सकते है।

ग्राम गुनिया /पुजारी की पहचान

- ग्रामीण जन ग्राम के बैगा, गुनिया या पुजारी को पहचानते है।
- ग्राम के देवालयों में पूजा-अर्चना करते हुए मिल सकते है।

तेंदुपत्ता संग्राहकों की भूमिका

- ग्रामीण मजदूर परिवार के लोगों द्वारा तेन्दू पत्ता व गौण खनिज संग्रहण के लिए लगातार जंगल जाते है।
- इन्हें जंगल के संसाधनों व सीमाओं की जानकारी होती है।
- दिनचर्या में इनके द्वारा जंगल जाना और गौण खनिज संग्रहण कर उसे विक्रय करने का कार्य है। पूरा दिन जंगल में होते है, जैव विविधता की जानकारी होती है जैसे कहाँ पर किस प्रकार के जीव-जन्तु हैं, कहाँ कौन-सी वनस्पति प्राप्त होती है आदि का बेहतर ज्ञान होता है।

- जंगल, नदी, पहाड़, सभी क्षेत्रों में इनके द्वारा रोज विचरण किया जाता है, इन्हें सभी स्थानों की जानकारी होती है।

तेंदुपत्ता संग्राहकों की पहचान

- ग्रामीण परिवार के होते है, ग्रामीणों को जानकारी होती है।
- किस परिवार के लोग जंगल जाते है, गांव के लोगों को जानकारी होती है।
- ग्राम के तेन्दूपत्ता संग्राहक मुंशी से पता किया जा सकता है।
- तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड भी बना रहता है।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावों की मान्यता की प्रक्रिया के लिए शासन के मैदानी अमलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं अतः अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में इनकी सहभागिता आवश्यक होती हैं, पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नांकित मैदानी अमलों का होना अनिवार्य होता हैं:

वन रक्षक की पहचान

- खाकी वर्दी धारी व्यक्ति, वन विभाग के कार्यालय या ग्रामीणों के द्वारा कोटवार या पटवारी से संपर्क करने पर इन्हें पहचाना जा सकता है।

वन रक्षक की भूमिका

- वन विभाग अंतर्गत वन क्षेत्र का एक कर्मचारी होता है|
- सामुदायिक वन अधिकार समिति को वन से संबंधित अधिकारों से अवगत करने के लिए सबसे जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी होता है|

- वन क्षेत्र के समस्त सरकारी/विभागीय दस्तावेजों का संधारण करने की जिम्मेदारी इनकी होती है|
- वन क्षेत्र या सीमा से लगे वन या वनरोपण संबंधित समस्त देख-रेख की इनकी जिम्मेदारी होती है|
- इनसे जंगल की वर्तमान सीमाओं की जानकारी प्राप्त करके प्राचीन सीमा को खोजने में मदद मिल सकती है।
- वनों के शासकीय दस्तावेज इनके पास होते है।
- ये सामुदायिक वन अधिकार तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की प्रक्रिया शुरू करने हेतु आयोजित ग्राम सभा में उपस्थित रहना और ग्राम सभा को आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।
- इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली वन सम्बंधित गतिविधियों की जानकारी रखते हुए अधिकारियों तक पहुँचाना होता हैं।
- वन को या वन भूमि पर किसी प्रकार के गैर कानूनी कार्य होने पर रोक लगाने और उसे दण्डित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते है।
- वनाधिकार के दावों की प्रक्रिया प्रारंभ करते ही इनकी भूमिका प्रारंभ हो जाती है।
- इनकी उपस्थिति में दावा प्रक्रिया को तैयार करने का प्रयास करना चाहिए।
- ये सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन मैपिंग और दावों के सत्यापन की प्रक्रिया में उपयोगी होते हैं।
- सी.एफ.आर. के दावों के स्थल सत्यापनकर्ताओं में से एक सदस्य की भूमिका निभाते है।
- ये नियमों के पालन करने तथा दावों को पहुंचाने में मदद करते है।

वन रक्षक के कार्य

- वनाधिकार मान्यता अधिनियम 2008 के नियम13 के अनुसार वन अधिकार मान्यता संबंधित आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं विशेषकर पूर्व की कार्य योजना, प्रबंधन योजना, सूक्ष्म योजना, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के गठन के दस्तावेज, वन ग्राम को वन राजस्व ग्राम में परिवर्तन संबंधित दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध कराना।
- जी.पी.एस. मशीन से वन संसाधन अधिकार क्षेत्र के मैपिंग का कार्य करना इनकी जिम्मेदारी होती है।
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु पारम्परिक सीमा के सीमांकन हेतु जी.पी.एस. मशीन से स्थल सत्यापन करने में वन अधिकार समिति का सहयोग कर जी.पी.एस. नक्शे उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं ।
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सभी कम्पार्टमेंट का ट्रेस मेप तथा क्षेत्रफल निकाल कर वन अधिकार समिति को अपने हस्ताक्षर सहित प्रदान करना।
- सभी नजरी नक्शा और जी.पी.एस. नक्शा को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।

603: शासन के मैदानी अमलों की भूमिका : पटवारी

- राजस्व विभाग के हल्का की जिम्मेदारी होती है।
- राजस्व विभाग के हल्का स्तर के ग्रामों का सबसे जिम्मेदार कर्मचारी है।
- वन अधिकार समिति के लिए राजस्व तथा वन क्षेत्र को चिन्हित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- राजस्व व वन क्षेत्र का नजरी नक्शा बनाने में इनकी महत्वपूर्ण सहयोग/भूमिका होती हैं ।
- इनके पास ग्रामीण दस्तावेजों का संकलन व ग्रामीण/राजस्व दस्तावेजों के निर्माण की पर्याप्त जानकारी होती है।
- लोगों के भूमि मकान भवन के हेक्टेयर व एकड़वार मौखिक जानकारी होती है।
- क्षेत्र के फसलों व ग्रामीण संसाधनों आदि के दस्तावेजों की पर्याप्त जानकारी होती है।
- इनके द्वारा सरकारी विभाग के कानूनी शब्दावली व भाषा के ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है।
- इनके पास उपलब्ध नजरी नक्शा आदि निर्माण से सम्बंधित ज्ञान का लाभ लिया जा सकते है।
- दावा प्रपत्रों के भरने में इनके ज्ञान व दक्षता का लाभ लिया जा सकता है।
- वनाधिकार दावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- राजस्व विभाग से संबंधित गांव के दस्तावेज उपलब्ध करवाना जैसे- निस्तार पत्रक, मिसल रिकार्ड आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- नियम 13 में उल्लेखित साक्ष्य अभिलेख भी शामिल है।
- सामुदायिक वन संसाधन के लिए पारंपरिक सीमा का नजरी नक्शा बनाने में वन अधिकार संसाधन का सहयोग करना।
- समुदाय के अधिकार के लिए वन क्षेत्रों में किए जा रहे-
  - निस्तार
  - गौण वनोपज संग्रहण
  - मछली जलाशय का उपयोग
  - चराई

- पारंपरिक संसाधनों तक पशुपालकों की पहुंच।

- PVTG समुदाय के लिए प्राकृतिक वन और पुनर्वास की अवधियाँ।
- वन अधिकार समिति के नजरी नक्शा बनवाने और चौहद्दी बनाकर रकबा निकालने में वनरक्षक की मदद लेना।
- स्थल सत्यापन में उपस्थित रहकर मदद करना तथा सत्यापन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना।
- पारंपरिक सीमा के अंदर कुल राजस्व भूमिका क्षेत्रफल, वन भूमि को छोड़कर जिसमें छोटे-बड़े झाड़ के जंगल शामिल है, और जिस पर कोई भी वन अधिकार मान्य नहीं किया गया है, को लिखित में वन अधिकार समिति को उपलब्ध करवाना।
- पारंपरिक सीमा के अंदर कुल राजस्व वन का खसरा नंबर रकबा सहित वन अधिकार समिति को उपलब्ध करवाना।
- ग्राम सभा में उपस्थित रहकर ग्राम सभा को आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- ग्रामीण कोटवार या पंचायतों से पटवारी की जानकारी प्राप्त कर सकते है। ग्रामीण पटवारी आमतौर पर अपने हल्का कार्यालय में मिल जाते है।

पंचायत सचिव की भूमिका

- यह ग्राम पंचायत के सबसे जिम्मेदार सरकारी प्रतिनिधि है।
- पंचायत सचिव पंचायत का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होता है|
- वनाधिकारी समिति के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है|
- समिति के दस्तावेजों का संधारण करने की जिम्मेदारी होती है|
- पंचायत की गतिविधियों को संचालित करने और दस्तावेजों को सरकारी जरूरतों के आधार पर तैयार करने का ज्ञान होता है।
- दावों के भरने तथा अन्य दस्तावेजीकरण के समय इनके ज्ञान का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है|
- ग्राम की समस्त जानकारी एवं आँकड़े इनसे प्राप्त हो सकते है|
- ग्राम सभा के बैठक का आयोजन कर संचालन में मदद करना
- सामुदायिक वनाधिकार समिति के निर्माण के लिए बैठकों का आयोजन करना
- ग्राम सभा की उपस्थिति रखना
- ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों व निर्णयों को लेखाबद्ध करना तथा ग्राम पंजीयक रजिस्टर को संधारित करना
- वनाधिकार से संबंधित दस्तावेजों व दावों को तैयार कराना
- विभिन्न चरणों में वनाधिकार समिति को सहयोग प्रदान करना मुदायिक वन संसाधन अधिकार की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व 50% कोरम, जिसमें एक तिहाई महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- ग्राम सभा आयोजित कर सभी को पूरी प्रक्रिया की जानकारी देना
- ग्राम पंजी में वन अधिकार समिति को दावा बनाने हेतु/ अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव लिखना
- वन अधिकार समिति के लिए नजरी नक्शा तैयार करने में मदद करना
- वन अधिकार समिति को दावा को तैयार करने हेतु फॉर्म उपलब्ध करवाना
- गाँव की मतदाता सूची उपलब्ध कराना
- वन अधिकार समिति को आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध करवाने में मदद करना

- चौहद्दी लिखकर रकबा निकालने में वनरक्षक को मदद करना
- संसाधन मानचित्र बनाने में मदद करना
- वनाधिकार प्राप्त व्यक्तिगत लोगों की सूची उपलब्ध कराना

पंचायत सचिव की पहचान

- ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर इनकी पहचान की जा सकती है |
- ग्राम के सभी लोग अपने पंचायत के सचिव को पहचानते है |

सत्यापन समूह का अर्थ

- वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत दावों एवं साक्ष्यों की जाँच कर सत्यापित करने हेतु बनाये गए समूह को सत्यापन समूह कहते हैं।

सत्यापन समूह के सदस्य

- सत्यापन समूह में तिन विभिन्न स्तरों से सदस्यों को शामिल किया जाता हैं:
- शासकीय अधिकारीगण- वन, पंचायत, राजस्व विभाग एवं एस.डी.एल.सी. के अधिकारी जैसे राजस्व निरीक्षक, डिप्टी रेंजेर, पंचायत निरीक्षक एवं अन्य वांछित शासकीय अधिकारी समूह के सदस्य होते हैं
- वन अधिकार समिति- वन अधिकार समिति के समस्त सदस्यों के साथ साथ कोर ग्रुप के सदस्य, पडोसी गाँव की वन अधिकार समिति के प्रतिनिधि एवं बुजुर्ग सदस्य होते हैं
- गैर शासकीय ग्रामीण- दावा प्रस्तुत करने वाली ग्राम सभा के अन्य सदस्य विशेषकर प्रत्येक पारा, टोला, मोहल्ला के प्रतिनिधि, ग्राम की सीमाओं और परम्परागत उपयोग के संसाधनों की जानकारी रखने वाले बुजुर्ग आदि शामिल होते हैं ।

सत्यापन समूह की भूमिका

- सत्यापन समूह वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत दावों और साक्ष्यों का स्थल पर आंकलन कर सत्यापित करते हुए दावा पंजी में निष्कर्ष अभिलिखित क में अंकित करें

अध्याय -सप्तम

दावों के सम्बन्ध में दस्तेवेजों की तैयारी

701-आवश्यक दस्तावेजों की सूची एवं चेकलिस्ट

702-पारंपरिक सीमा

703- निस्तार

704- नजरी नक्शा

705- बुजुर्गों का कथन

706- सीमावर्ती ग्रामों से अनापत्ति एवं सहमती पत्र

707- वन अधिकारों के निर्धारण के लिए साक्ष्य

701: दावों के सम्बंध में दस्तावेजों की तैयारी

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावों की मान्यता की प्रक्रिया में दस्तावेजों का बहुत अधिक महत्व होता हैं, अतः दस्तावेजों के महत्व एवं अनिवार्य दस्तावेजों की सूची सम्बन्धी जानकारी निम्नलिखित हैं:

दस्तावेजों का महत्व

- दस्तावेज दर्शाते हैं कि दावा प्रक्रिया सही तरीके से की गयी है ।
- कानून का पालन सही तरीके से किया गया है ।
- सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया गया है ।
- प्रक्रिया में शामिल सभी लोग सभी दस्तावेजों से परिचित है ।
- सभी अनिवार्य अभिलेखों से दावों का मिलान किया गया है ।
- दस्तावेज सही होने की स्थिति में ही दावा स्वीकृत होगा और राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों में अद्यतन किया जाएगा ।

जरुरी दस्तेवेजों की सूची

- ग्राम सभा द्वारा एस. डी. एल. सी. को सामुदायिक वन अधिकार का दावा पत्र सौंपने बाबत पत्र (इस पर पावती लेनी है)
- प्रारूप -'ख' विवरण सहित
- प्रारूप - 'ग' विवरण सहित
- दावेदारों की हस्ताक्षरित सूची
- मतदाता सूची की छायाप्रति (पंचायत सचिव/ सरपंच द्वारा सत्यापित)
- नजरी नक्शा : फार्म ख एवं ग के लिए एक साथ अथवा अलग-अलग (बिटगार्ड, पटवारी तथा सीमावर्ती ग्राम के वन अधिकार समिति के हस्ताक्षर और सील सहित)

- पारंपरिक सीमा का जीपीएस नक्शा : रकबे के विवरण के साथ (बिटगार्ड, पटवारी तथा सीमावर्ती ग्राम के वन अधिकार समिति के हस्ताक्षर और सील सहित)
- साक्ष्य1: सीमावर्ती ग्राम के बुजुर्गों का कथन उनके हस्ताक्षर सहित (फार्म ख एवं ग के लिए एक साथ अथवा अलग-अलग)
- साक्ष्य 2: नियम 13 के अतंर्गत कोई एक साक्ष्य दस्तावेज
- सामुदायिक वन अधिकार हेतु वन अधिकार समिति के गठन / पुनर्गठन तथा दावा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ग्राम सभा आयोजित करने हेतु सूचना पत्र (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र -5|A1 या 5|A2)
- प्रारंभिक ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर की सत्यापित छायाप्रति
- ग्राम सभा द्वारा दावा प्रारंभ करने की सूचना एस. डी. एल. सी. को देना (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र - 5|A)
- वन अधिकार समिति की प्रथम बैठक के कार्यवाही का विवरण
- कोर कमिटी के गठन की लोक सूचना (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र - 5|B1)
- सीमावर्ती ग्रामों को दावा प्रारंभ करने की सूचना की पावती (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र - 5|B)
- सीमावर्ती ग्रामों के वन अधिकार समितियों के साथ संयुक्त बैठक बाबत सूचना पत्र की पावती (सीमा विवाद की स्थिति में)
- संयुक्त बैठक की कार्यवाही विवरण (सीमा विवाद की स्थिति में)
- सीमावर्ती ग्रामों को नजरी नक्शा बनाने हेतु सूचना पत्र की पावती (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र -5|C)
- सीमावर्ती ग्रामों को पारंपरिक सीमा निर्धारण हेतु जीपीएस करने की सूचना की पावती (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र - 5|G) स्थल सत्यापन हेतु वन विभाग / राजस्व विभाग को सूचना की पावती (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र - 5|E)
- स्थल सत्यापन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति को सूचना की पावती (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र - 5|F)

- स्थल सत्यापन हेतु लोक सूचना (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र - 5|H)
- स्थल सत्यापन रिपोर्ट (हस्ताक्षरित)
- सभी सीमावर्ती ग्रामों के वन अधिकार समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 /प्रपत्र - 5|I)
- ग्राम सभा द्वारा दावा पत्र को ग्राम सभा को सौंपने बाबत सूचना-पत्र की पावती
- ग्राम सभा द्वारा दावा पत्र के अनुमोदन की कार्यवाही विवरण
- वन अधिकार समिति की सभी बैठकों के कार्यवाही विवरण की सत्यापित छायाप्रति

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की दावा फाइल हेतु चेक लिस्ट

आवश्यक दस्तावेज	दस्तावेज में परिक्षण किये जाने वाले बिंदु
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) हेतु नियम में दिए गए फॉर्म ग का भरा हुआ प्रपत्र	1. दावा फॉर्म ग्राम सभा के नाम से है
	2. एक पारंपरिक सीमा के अन्दर आने वाले सभी ग्राम सभाओं का दावा संयुक्त रूप से है
	3. फॉर्म ग के बिंदु क्रमांक 5 में ग्राम सभा के सदस्यों के नाम के लिए उस ग्राम सभा की मतदाता सूची की छायाप्रति लगी हो जिसमें सभी के नाम के आगे ST या OTFD, जैसा लिखा हो एवं साथ में सम्बंधित व्यक्ति के दावेदार के रूप में हस्ताक्षर हो
	4. बिंदु क्रमांक 6 में पटवारी द्वारा पारंपरिक सीमा के अन्दर आने वाले कुल क्षेत्र का रकबा लिखा हुआ हो, साथ में: a) पटवारी द्वारा पारंपरिक सीमा के भीतर सभी छोटे-बड़े झाड के जंगल का खसरा नंबर रकबा सहित लिखा हो, b) वन रक्षक द्वारा पारंपरिक सीमा के अन्दर आने वाले RF, PF,OA

	का क्रमांक सहित उसका कितना हिस्सा पारंपरिक सीमा के अन्दर आता है, उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में स्पष्ट रूप से लिखा हो.
	5. बिंदु क्रमांक 7 में सीमा से लगे हुए सभी गाँव का नाम दिशा के अनुसार लिखा हुआ हो एवं इन सभी का सहमति पत्र दावा के साथ लगा हुआ हो, इसमें दूसरे गाँव से संसाधन के लेन देन की जानकारी भी स्पष्ट रूप से लिखी हुई हो
	6. बिंदु क्रमांक 8 के नियम 13 में वर्णित दो साक्ष्य के नाम अनिवार्य रूप से लिखे हुए हो
प्रारंभिक ग्राम सभा बैठक की छायाप्रति	1. ग्राम सभा प्रस्ताव में वन अधिकार समिति को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) का दावा तैयार करने हेतु अधिकृत करते हुए प्रस्ताव पारित हो.
	2. कोर ग्रुप के सदस्यों का निर्धारण करते हुए उनके नाम हो, इस कोर ग्रुप में पारंपरिक सीमा का ज्ञान रखने वाले बुजुर्ग, महिलायें और PVTG सदस्य शामिल हो.
	3. ग्राम सभा प्रस्ताव में कोरम हेतु 50 प्रतिशत सदस्यों का हस्ताक्षर जिसमें एक तिहाई महिला होना अनिवार्य है.
CFR की प्रक्रिया शुरू करने की सूचना देते हुए तथा साक्ष्य उपलब्ध	पत्र में अनुभाग स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष या सचिव के

करवाने हेतु वन अधिकार समिति द्वारा अनुभाग/जिला स्तरीय समिति को लिखे गए पत्र की पावती	कार्यालय में पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर या मोहर होनी चाहिए
सीमावर्ती गाँव की वन अधिकार समिति तथा बुजुर्गो को CFR का नज़री नक्शा बनाने हेतु आयोजित बैठक की सूचना देने वाली चिट्ठी की प्राप्ति की पावती	सीमावर्ती ग्राम की वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव अथवा ग्राम के प्रमुख बुजुर्गो (गायता, पेरमा, वड्डे, सिरहा, बैगा, इत्यादि) को इस हेतु दी गयी सूचना की प्राप्ति की दस्तखत पावती
CFR का नज़री नक्शा बनाने हेतु आहूत बैठक का कार्यवाही विवरण और दावा करने वाले ग्राम का नज़री नक्शा	1. ग्राम की वन अधिकार समिति के रजिस्टर में लिखित कार्यवाही विवरण की प्रति जिसमें: a. सभी प्रतिभागियों का नाम, पद नाम और हस्ताक्षर b. कार्यवाही में सभी सीमावर्ती गाँव की वन अधिकार समिति तथा बुजुर्ग द्वारा अपनी याददाश्त के अनुसार अपनी-अपनी ग्राम की पारंपरिक सीमा चिन्ह, जो दावा करने वाले गाँव की सीमा के साथ लगते हो, लिखे हुए हो
	2. साथ ही CFR हेतु तैयार नज़री नक्शा एवं उसकी एक प्रति जिस पर: a. सीमावर्ती गाँव की वन अधिकार समिति तथा बुजुर्गो द्वारा सत्यापित करते हुए हस्ताक्षर होना चाहिए

स्थल सत्यापन हेतु सीमावर्ती गाँव को एवं शासकीय कर्मचारियों को दी गयी सूचना की प्रति की पावती	सत्यापन में उपस्थित रहने हेतु: a. सीमावर्ती ग्राम की वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव अथवा ग्राम के प्रमुख बुजुर्गो गायता, पेरमा, वड्डे, सिरहा, बैगा, इत्यादि) को इस हेतु दी गयी सूचना की प्राप्ति की पावती b. वनरक्षक, पटवारी, पंचायत सचिव को स्थल सत्यापन में उपस्थित रह कर GPS के माध्यम से सत्यापन करवाने हेतु दी गयी सूचना की प्राप्ति की पावती
स्थल सत्यापन रिपोर्ट	1. CFR के स्थल सत्यापन हेतु GPS किए जाने के समय पारंपरिक सीमा के चिन्ह (लकड़ी के खूंट, पत्थर के स्तंभ, इत्यादि) का पारंपरिक नाम और अक्षांश और देशांतर का विवरण, स्थल सत्यापन की रिपोर्ट में वन अधिकार समिति के रजिस्टर में लिखा हुआ होना चाहिए
	2. सत्यापन रिपोर्ट के अंत में सीमावर्ती गाँव की वन अधिकार समिति और बुजुर्गो तथा गाँव के वनरक्षक, पटवारी एवं पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिए, जिससे यह साबित हो सके की वह स्थल सत्यापन में उपस्थित थे और गाँव के पारंपरिक सीमा के चिन्ह को उन्होंने देख कर सत्यापित किया है.

CFR हेतु पारंपरिक सीमा के स्थल सत्यापन से प्राप्त GPS नक़्शे पर सम्बंधित वनरक्षक, पटवारी, पंचायत सचिव एवं वन अधिकार समिति के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर	नक़्शे में नाम, पद नाम सहित सभी सम्बंधित के हस्ताक्षर हो जिससे यह प्रमाणित हो सके की स्थल सत्यापन के समय तैयार किया गया GPS नक्शा सही है
नियम 13 के अनुसार दो साक्ष्य	1. पहला साक्ष्य: दावा करने वाले गाँव के सीमावर्ती गाँव के बुजुर्गों का कथन, जिसमें वह सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) के लिए पारंपरिक सीमा के चिन्ह को पारंपरिक नाम से और उससे जुड़े नियम का विस्तार से वर्णन करते हो
	2. दूसरे साक्ष्य के रूप में शासकीय दस्तावेज जैसे कार्य योजना, प्रबंध योजना, सूक्ष्म योजना, कक्ष इतिहास, निस्तार पत्रक (राजस्व), निस्तार पुस्तिका (वन), JFMC गठन के दस्तावेज, तेंदू पत्ता संग्रहण के दस्तावेज, इत्यादि दस्तावेजों में से कोई भी एक जो संसाधन के उपयोग, सुरक्षा और संरक्षण को दर्शाते हो
सीमावर्ती गाँव की वन अधिकार समिति तथा बुजुर्गों (पारंपरिक नेतृत्व) का सहमति पत्र	1. सामुदायिक वन संसाधन हेतु दावा करने वाले गाँव की पारंपरिक सीमा से लगे प्रत्येक गाँव उनकी सीमा से लगे प्रमुख चिन्ह की पुष्टि करते हुए सहमति देंगे

	2. साथ ही सहमति पत्र में वह एक दूसरे के पारंपरिक सीमा क्षेत्र से संसाधनों जैसे वनोपज, वनौषधि, चराई, निस्तार, जलाशय इत्यादि का उपयोग के क्षेत्र को नजरी नक्शा अथवा चौहद्दी के माध्यम से दर्शाते हुए अभिलिखित करेंगे जिससे भविष्य में उनके उपयोग को लेकर कोई विवाद न हो
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे का अनुमोदन करते हुए ग्राम सभा का प्रस्ताव	1. प्रस्ताव में सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र का विवरण कुल हेक्टेयर में विस्तार से दर्ज होना चाहिए 2. साथ ही कोरम हेतु ग्राम सभा के 50 प्रतिशत सदस्यों का होना अनिवार्य है, जिसमें एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए

पारंपरिक सीमा

विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा वन संसाधन के नाम पर आपास में होने वाले संघर्ष से बचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे पहाड़, नदी, जंगल आदि को विशिष्ट प्राकृतिक पहचान चिन्हों जैसे बड़े या छोटे पत्थर, पुराने पेड़ आदि को आपसी समझौतों से अंकित कर गाँव की सीमा का निर्माण करते हैं, जिसे पारंपरिक सीमा कहते हैं । प्रत्येक गाँव की पारंपरिक सीमा के अंतर्गत शामिल आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों एवं वन संसाधनों तक गाँव के देहाती समुदाय की पारंपरिक पहुँच होती हैं ।

पारंपरिक सीमा की पहचान

गाँव और पड़ोसी गाँव के बुजुर्ग, गुनिया, वैद्य, बैगा, सिरहा, भूमका, गायता, पटेल, वड्डे, मांझी जैसे गाँव के पारंपरिक नेता पेरमा, बरुआ, मुखिया, गौंटिया, पटेल, चरवाहे, कोटवार आदि की सहायता से गाँव की पारंपरिक सीमाओं को पहचाना जा सकता हैं |

पारंपरिक सीमा की पहचान

किसी गाँव की सीमा को निम्नानुसार तय किया जाता है:

1. गाड़े गए मुनारों, देव स्थलों, पत्थरों, स्तंभों,
2. भौगोलिक क्षेत्रों (जैसे दूसरे ग्राम से जोड़ने वाली कच्ची या पक्की सड़क, जंगलों की अंतिम छोरो, नदी-नाले
3. गाँव की परंपरा (जैसे-जानवरों के शव का निपटान, मृत्यु पर सीमा भीतर या बहार अंतिम संस्कार, विवाह पर सीमा पर कोई परंपरागत कार्य आदि

703:दावों के सम्बन्ध में दस्तावेजों की तैयारी -निस्तार

निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में शामिल निम्न अधिकार सम्मिलित है।

- वन भूमि में किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना से संबंधित आने जाने के अधिकार
- शमशान स्थल का अधिकार
- बैठक चौपाल के अधिकार
- जड़ी बूटियों, महुआ फूल आदि के प्रसंस्करण के अधिकार
- नदी नाले में नहाने, कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने आदि का अधिकार

निस्तार का मतलब सिर्फ, जलावन लकड़ी या झोपड़ी मकान बनाने की लकड़ी से नहीं है बल्कि, पारंपरिक रूप से जंगलों में उपलब्ध संसाधनों का ऐसा उपयोग जिसकी पूर्ति बाजार के माध्यम से नहीं हो सकें, वह निस्तार कहलाता है। जिसमें निम्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं -

- खेती के लिए जरूरी साज-सामान, जैसे हल-बखर बनाने के लिए लकड़ी, कुल्हाड़ी, फावड़ा आदि औजारों के हत्थे
- बीज रखने के ड्रम पात्र
- मकान के लिए मिट्टी, मुरूम, लिपाई के लिए छुई, बांस
- मवेशी के पानी पीने के तालाब
- अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक स्थान और संसाधन
- सांस्कृतिक जरूरत के सामान, जैसे ढोल, मांदर बनाने वाली लकड़ी।
- जानवर बांधने घास की रस्सी, नांद के लिए लकड़ी, डोंगा इत्यादि शामिल है।

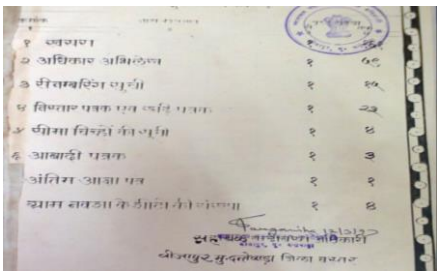

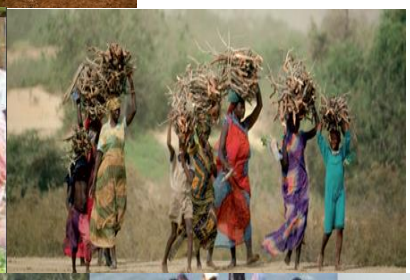

नजरी नक्शा

कागज या किसी समतल जगह पर किसी स्थल या भू-भाग का सांकेतिक चित्र बनाने को नक्शा कहते हैं, जिससे उस जगह का विस्तार, दूरी, सीमाओं और आकार को पहचाना जा सके| नजरी नक्शा वनाधिकार कानून, आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों के वन पर अधिकारों को मान्य करने के लिए सहयोगी है।

समुदाय पारंपरिक रूप से जिस भूमि या वन क्षेत्र का उपयोग करता हैं, उसका सामूहिक रूप से भ्रमण करते हुए पारंपरिक सीमा चिन्हों का एक कच्चा नक्शा तैयार किया जाता है, जिसे नजरी नक्शा कहा जाता है। तैयार किए गए नजरी नक्शे को पड़ोसी गांव के ग्राम सभा या वनाधिकार समिति से जाँच कराए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। नजरी नक्शा तैयार करने हेतु सेटेलाइट एवं जी.पी.एस. का उपयोग किया जा सकता है।

नक्शा तैयार करने के दौरान जहां तक संभव हो वन और आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए तथा नक्शे में निम्नलिखित संसाधनों को स्थानीय परंपरागत नाम से दर्शाया जाना चाहिए, जैसे –

- स्कूल, आंगनबाड़ी
- मछली पकड़ने का स्थान
- सेवा स्थल, सामुदायिक भवन
- पवित्र पेड़ पौधों का क्षेत्र
- मवेशियों के उठने, बैठने का स्थान, चारागाह
- पुरानी गुफाएं, पहाड़
- शमशान, कब्रिस्तान
- सिंचाई के साधन, खेत खलिहान
- हाट बाजार का स्थान
- बाजार का स्थान
- मिट्टी, मुरूम, गिट्टी के क्षेत्र

- जड़ी बूटी के क्षेत्र
- वन उत्पाद जैसे महुआ, तेंदू, बांस आदि
- नदी, नाले, तालाब के क्षेत्र

बुजुर्गों का कथन

गाँव के ऐसे बुजुर्ग जिन्हें गाँव की सीमा के सम्बन्ध में जानकारी हो, उनसे वन अधिकार समिति के सदस्य बातचीत करके दिशानुसार सीमा के प्रमुख चिन्ह के बारे में कथन ले सकते हैं| उनके कथन को दावे के एक जरुरी साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है| इसमें बुजुर्गों का कथन सीमा जानकारी, निस्तार के क्षेत्र, आसपास के गाँव के लोगों द्वारा निस्तार के प्रकार, निस्तार के लिए समय एवं गाँव स्तर के नियम के बारे में वे अपनी जानकारी लिखवा सकते हैं|

बुजुर्गों के कथन में आने वाली महत्वपूर्ण बातें

- पुराने समय में वन एवं वन्य जीव जन्तुओं की स्थिति
- उस समय की सरकार/वन विभाग के नियम कानून सम्बन्धी जानकारी
- गांव एवं समाज द्वारा जंगलों की देखभाल के लिए अपनाए गए तरीके
- नियम जिनका पालन समाज के लोग और आस पास के गांव के लोगों द्वारा किया जाता था
- जड़ी-बूटी की पहचान एवं उनके उपयोग सम्बन्धी जानकारी
- मवेशियों के चरने के स्थान, मौसम अनुसार चराई क्षेत्रों की जानकारी
- चारागाहों के उपयोग के नियम से सम्बंधित जानकारी
- जंगली जानवरों के बचाव के तरीके
- देवी देवताओं के नाम एवं उनके स्थान
- जंगल में नदी नाले, तालाब, उनके नाम एवं उनके उपयोग सम्बन्धी जानकारी
- गांव समाज के जंगलों से जुड़े त्योहारों रीति रिवाजों की जानकारी
- समय के साथ होने वाले बदलाव एवं उनसे जूझने हेतु समाज द्वारा
- अपनाए गए तरीके

- भविष्य में गांव एवं समाज द्वारा जंगलों के विकास की परिकल्पना एवं उनके संरक्षण के लिए उपाय

नोट: दो बुजुर्गो के कथन के साथ उनके नाम, उम्र, हस्ताक्षर/अंगूठे का चिन्ह जरूर लेवें।

सीमावर्ती ग्रामों से सहमती एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र

- सीमावर्ती गाँवों से पारम्परिक सीमा पर सहमति लेने के लिए ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई पारंपरिक सीमा के नजरी नक़्शे को प्रस्तुत किया जाता है |
- इसके बाद सीमावर्ती गाँव के वन अधिकार समिति के सदस्यों के साथ स्थल निरिक्षण करते हैं | अगर सीमावर्ती गाँव के सदस्य सीमा से सहमत होते हैं, तो वे दावाकर्ता ग्राम सभा को सीमा की सहमति पत्र और दावा में शामिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं |
- अनापत्ति प्रमाण पत्र में जारी करने वाले गाँव का नाम, सूचना का दिनांक, ग्राम का नाम, दावों की सूची, सामुदायिक वन संसाधन जिनका उपयोग किया जा रहा है एवं उनसे सम्बंधित स्थान की सूची, ग्रामों के बीच परंपरागत सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है, का उल्लेख सबसे ऊपर होगा |
- अधिकार समिति के अध्यक्ष व सचिव दिनांक सहित हस्ताक्षर करेंगे | दावा करने वाले ग्राम के वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा |
- मिट्टी, मुरूम, गिट्टी के क्षेत्र
- जड़ी बूटी के क्षेत्र
- वन उत्पाद जैसे महुआ, तेंदू, बांस आदि
- नदी, नाले, तालाब के क्षेत्र

707: वन अधिकारों के निर्धारण के लिए साक्ष्य

- गजेटियर, जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्ट, मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्य योजना, प्रबंधन योजनाएं, लघु योजनाएं, वन जाँच रिपोर्ट, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज, सरकार द्वारा गठित समितियां और आयोग की रिपार्ट, सरकार के आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प जैसे सार्वजनिक दस्तावेज, शासकीय अभिलेख।
- मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, गृहकर रसीदें, मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे सरकारी अधिकृत दस्तावेज
- गृह, झोपड़ी, और भूमि में किए गए स्थायी सुधार कार्य जैसे समतल करना, बांध, चैकबंध बनाना आदि।
- अर्ध न्यायिक और न्यायिक अभिलेख जिसके अन्तर्गत न्यायालय आदेश और निर्णय भी शामिल है।
- वन अधिकारों के अधिभोग को स्पष्ट करने वाले परम्पराओं के अध्ययन प्रतिवेदन, दस्तावेजीकरण जो भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं ने तैयार किया है।
- तत्कालीन रजवाड़ो, प्रांतो या ऐसे मध्यवर्तियों से प्राप्त कोई अभिलेख जिसके अन्तर्गत मानचित्र, अधिकारों का अभिलेख, विशेषाधिकार रियायतें, समर्थन भी शामिल है।
- कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल जैस पुरातनता को स्थापित करने वाले परंपरागत साक्ष्य संरचनाए है।
- पूर्व भूमि अभिलेखों में उल्लेखित या पुराने समय में गांव के वैध निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के पुरखों का पता लगाने वाली वंशावली।
  - दावेदारों से लेखबद्ध किये गए भिन्न-भिन्न बुजुर्गो का कथन।

सामुदायिक वन संसाधनों के दावों लिए आवश्यक साक्ष्य

- किसी भी नाम से पहचाने जाने वाले निस्तारी के सामुदायिक अधिकार

- परम्परागत चारागाह, जड़े, कंद, चारा, वन्य खाद्य फल और अन्य लघु वन उत्पादन जमा करने के क्षेत्र, मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई व्यवस्थाएं,
- मानव या पशुधन के लिए उपयोग किए जा रहे जल के स्त्रोत, औषधी के पौधों का संग्रह, जड़ी-बूटी औषधी व्यवसायियों के क्षेत्र।
- स्थानीय समुदायों द्वारा बनाये गये संरचनाओं के अवशेष, पवित्र वृक्ष, गुफाएं, तालाब या नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या शमशान गृह।
- चालू आरक्षित वन के संरक्षित वन या गोचर या गांव की अन्य आम भूमि के पूर्ववर्ती सरकारी अभिलेख या निस्तारी वन।
- पारंपरिक कृषि की पूर्ववर्ती या चालू पद्धतियाँ
- ग्राम सभा, अनुविभागीय समिति और जिला समिति द्वारा वन अधिकारों का निर्धारण में उपर्लिखित एक से अधिक साक्ष्यों पर विचार करेगी।

अध्याय -अष्टम

स्थल जाँच सत्यापन, एवं ज़ी.पी.एस. एवं ग्राम सभा में संकल्प पारित करना

801-स्थल जाँच प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व

802-दस्तावेजों के समेकन हेतु समिति की बैठक / प्रस्ताव तैयारी

803- विवादों की स्थिति में सीमावर्ती ग्राम सभा के साथ संयुक्त सम्मलेन

804- अनुविभागीय समिति में दावा प्रस्तुत करने की तैयारी

801: स्थल जांच प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्त्व

स्थल जाँच का अर्थ

वन अधिकार समिति कोर समूह, पड़ोसी गाँव के FRC प्रतिनिधि, राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारीगण, ग्राम सभा में उपस्थित विभिन्न पारा टोला मोहल्ला के प्रतिनिधि एवं ग्राम की सीमाओं और परंपरागत उपयोग के संसाधनों की जानकारी रखने वाले बुजुर्गों के साथ पूर्व की बैठक में निर्धारित समय स्थान एवं दिनांक के अनुसार वन संसाधनों की परंपरागत सीमाओं एवं स्थलों को GPS के माध्यम से सीमांकित करना एवं साक्ष्यों का परिक्षण करने की प्रक्रिया को स्थल जांच कहा जाता हैं ।

स्थल जाँच करने के पूर्व की तैयारी

- विशेष ग्राम सभा करने के लिए पंचायत को सूचना
- ग्राम सभा की बैठक करना तथा कोर कमेटी का गठन करना
- उपखण्ड स्तरीय समिति को 12/4 के तहत लिखित में सूचना भेजना
- दावेदार ग्राम सभा के द्वारा दिन, तिथि का निर्धारण
- दावा प्रपत्र भरना
- नज़री नक्शा तथा जीपीएस नक्शा तैयार करना
- बुजुर्गों के कथन तथा अन्य साक्ष्य दस्तावेजों का संकलन पूर्ण कर लेना
- वन विभाग के फॉरेस्ट रेंजर, वनपाल, सीमावर्ती गांव के वन अधिकार समिति, राजस्व विभाग के तहसीलदार, आर. आई., पटवारी को लिखित में सूचना
- ग्राम वासियों को सत्यापन दिनांक स्थान की लोक सूचना

➢ उपरोक्त सभी को सत्यापन दिनांक से कम से 7 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर पावती को दावा पत्र के साथ संलग्न करना

➢ ग्राम सभा सदस्यों द्वारा अपने पारंपरिक सीमा का नजरी नक्शा तैयार करना तथा उसमें अपनी पारंपरिक सीमा का उल्लेख करना

➢ सीमावर्ती गांव के साथ सहमति बनाना और अनापत्ति प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करना

- नजरी नक्शा में हस्ताक्षर करना, ग्राम सभा रजिस्टर में हस्ताक्षर, बुजुर्गों का कथन तैयार करके सीमावर्ती गांव का हस्ताक्षर
- स्थल जांच के दिन वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मदद से पारंपरिक सीमा को GPS करना एवं सीमावर्ती गांव के लोगों की पूरी प्रक्रिया में उपस्थिति सुनिश्चित करना

स्थल जाँच हेतु उपयोगी वस्तुएं

- दावा पत्र की मूल प्रति
- नज़री नक्शा, जीपीएस नक्शा, कम्पार्टमेंट नक्शा, राजस्व नक्शा
- बुजुर्गों के कथन
- साक्ष्य दस्तावेज़ (निस्तार पत्रक, कार्य योजना, सूक्ष्म नियोजन योजना)
- जीपीएस मशीन (केवल कुछ ही परिस्थितियों में पुनः जांच किया जा सकता है)
- चार्ट पेपर, पेंसिल, मार्कर, रंगोली इत्यादि
- वन विभाग, राजस्व विभाग, सीमावर्ती गाँव के लोग तथा दावेदार ग्राम सभा के एफ़. आर. सी. सदस्य एवं अन्य ग्राम मुखियाओं की उपस्थिति पंजी
- ग्राम सभा द्वारा बनाए गए नजरी नक्शा जिसमें सीमावर्ती गांव के सहमति होने पर सहमती पत्र पर हस्ताक्षर होना चाहिए
- सीमावर्ती गांव के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए बुजुर्गों का कथन
- वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा बीट नक्शा, राजस्व नक्शा तथा नक्शा,जीपीएस नक्शा जो राजस्व क्षेत्र के व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र को घटाकर पूर्ण रूप से तैयार किया गया है
- ग्राम सभा की पारंपरिक सीमा किन-किन कम्पार्टमेंट से होकर गुजर रही है, और उन कम्पार्टमेंट का कितना क्षेत्र पारंपरिक सीमा में आ रहा है इसका गोस्वारा सहित बीट नक्शा, जिसमें यदि IFR दिया गया हो तो उसे घटाकर तैयार किया जाना होगा

- राजस्व नक्शा जिसमें बड़े-छोटे झाड़ के जंगल की जानकारी होने के साथ साथ व्यक्तिगत किस खसरा में कितना रकबा दिया गया हैं, यह जानकारी भी

स्थल जाँच प्रतिवेदन तैयार करने में महत्वपूर्ण दस्तावेज

- ग्राम सभा में उपस्थित रहकर ग्राम सभा को आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- ग्रामीण कोटवार या पंचायतों से पटवारी की जानकारी प्राप्त कर सकते है। ग्रामीण पटवारी आमतौर पर अपने हल्का कार्यालय में मिल जाते है।
- स्थल जांच के दौरान दावा पत्र में मांग की गयी वनभूमि, उपलब्ध साक्ष्य, स्थल खूंट की जांच पड़ताल, नज़री नक्शा का सत्यापन तथा बुजुर्गों के कथन के आधार पर विचार-विमर्श करना
- विवाद की स्थिति में पुनः उक्त स्थान का भौतिक सत्यापन व भ्रमण करना
- इसके बाद ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन तैयार करना
- प्रतिवेदन में उपस्थित वन विभाग, राजस्व विभाग तथा सीमावर्ती गाँव के सदस्यों का पद नाम सहित सील व हस्ताक्षर कराना

दस्तावेजों के समेकन हेतु समिति के कार्य

- दावा पत्र भरने के साथ-साथ आवश्यक समस्त दस्तावेजों का अंतिम अवलोकन तथा ग्राम सभा में दावा पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व एफ़.आर.सी तथा कोर कमेटी की बैठक आयोजित करना
- इस बैठक में एफ़.आर.सी द्वारा समस्त दस्तावेज़ की जांच पड़ताल करना
- कुछ कमी होने पर समय सीमा के भीतर उक्त कार्य को पूर्ण करने की रूपरेखा तैयार करना तथा एफ़.आर.सी. और कोर कमेटी में जिम्मेदारियों को बाँटना
- सब कुछ सही होने की स्थिति में दावा अनुमोदन हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजन के लिए सरपंच /सचिव को आवेदन देना
- उस समय अगर सामान्य ग्राम सभा का आयोजन होता है, तो ग्राम सभा में 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना
- ग्राम सभा द्वारा तैयार किए गए दावा पत्र, सीमावर्ती का अनापत्ति प्रमाण पत्र, बुजुर्गों का कथन, स्थल सत्यापन रिपोर्ट, पंचनामा, राजस्व नक्शा, वन नक्शा, निस्तार पत्रक, वन विभाग की कार्य योजना की जांच लिखित एवं मौखिक रूप से दावा प्रक्रिया को तैयार करना

ग्राम सभा में प्रस्ताव की प्रस्तुति

- ग्राम सभा बठक में ग्राम वन अधिकार समिति (एफ़.आर.सी.) द्वारा सामुदायिक वन अधिकार या सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार के दावा पत्र को विस्तार से पढ़कर सुनाया जाता है
- दावा पत्र के वाचन के साथ एफ़. आर. सी. द्वारा दावा पत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा जाता है
- ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा दावा पत्र को लेकर गहन विचार-विमर्श किया जाता है

- ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित (50%) सदस्यों की सहमति से दावा पत्र का अनुमोदन किया जाता है
- वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों को ग्राम सभा पुनः सभी दस्तावेजों की जांच कर लिखित एवं मौखिक रूप से जानकारी लेते है
- ग्राम सभा में दावा पत्र अनुमोदन के पश्चात् एक निश्चित समय सीमा के भीतर दावा पत्र आपत्ति हेतु एक लोक सूचना जारी की जानी चाहिए ।
- सीमावर्ती गांव के अनापत्ति प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर
- बुजुर्गों के कथन एवं नजरी नक्शा में हस्ताक्षर

803: विवादों की स्थिति में सीमावर्ती ग्राम सभा के साथ संयुक्त सम्मेलन

- सीमा विवाद की स्थिति में दावेदार ग्राम सभा एवं सीमावर्ती ग्राम के वन अधिकार समिति की सयुंक्त बैठक होनी चाहिए
- संयुक्त बैठक की जानकारी सीमावर्ती ग्राम को बैठक दिनांक व स्थान की जानकारी सहित कम से कम सात दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए
- सीमा विवाद को लेकर की जाने वाली सयुंक्त बैठक की सूचना सात दिन पूर्व अनुविभागीय अधिकारी को दी जानी चाहिए
- इस बैठक मे जानकार बुजुर्ग व गाँव के सभी मुखिया की उपस्थिति अनिवार्य है
- विवाद की स्थिति में नजरी नक्शा के सीमा चिन्ह के संबंध में संयुक्त चर्चा होनी चाहिए
- अनापत्ति प्रमाण प्रत्र में हस्ताक्षर लेना
- बुजुर्गों के कथन में हस्ताक्षर लेना
- ग्राम सभा रजिस्टर में हस्ताक्षर लेना अनिवार्य हैं ।

समिति में दावा प्रस्तुत करने की तैयारी

- ग्राम सभा में दावा पत्र के अनुमोदन के बाद पंचायत सचिव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखना एवंपत्र के साथ दावा पत्र की अनुक्रमणिका सूची को संलग्न करना
- ग्राम पंचायत वन अधिकार समिति से प्राप्त दावा का प्रस्ताव प्राप्त कर पंचायत प्रस्ताव तैयार करना
- प्रस्ताव की प्रतिलिपि दावा प्रारूप में संलग्न कर उपखंड स्तरीय समिति में जमा करना

दावों की पावती प्राप्त करना

- सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावा पत्र को ग्राम सभा अनुमोदन के पश्चात सम्पूर्ण दस्तावेजों की एक प्रति फोटोकॉपी करा कर रखनी चाहिए।
- ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दावा पत्र की मूल प्रति को अनुविभागीय कार्यालय मे जमा करना चाहिए तथा दावा पत्र के द्वितीय प्रति मे अनुविभागीय कार्यालय में सील मोहर सहित पावती लेनी चाहिए।
- पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तावित दावों को उपखंड स्तर में जमा करके पावती प्राप्त करनी चाहिए

वन अधिकार समितिः – रावबेड़ामारी

ग्राम सभाः– रावबेड़ामारी ग्राम पंचायत :– रावबेड़ामारी

विकासखण्डः– केशकाल जिलाः– कोण्डागांव (छ.ग.)

क्रमांक 04 दिनांक 30/1/2023

प्रति,

माननीय अनुविभागीय अधिकारी
केशकाल जिला– कोण्डागांव (छ.ग.)

विषय :– सामुदायिक अधिकार एंव सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार का दावापत्र के संदर्भ में।

महोदय,

अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2007 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत 836.131 हेक्टेयर भूमि का ग्राम –रावबेड़ामारी ग्राम पंचायत रावबेड़ामारी विकास खण्ड केशकाल जिला–कोण्डागांव (छ.ग.) के वनभूमि का सामुदायिक अधिकार एंव सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार का दावापत्र आपको प्रेशित कर रहे है।

साथ में नीचे दिये हुए संलग्न हैः–

1. सामुदायिक वन अधिकार एंव सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार दावापत्र तैयार करने के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव का सत्य प्रतिलिपि।
2. प्रकिया प्रारंभ करने के लिए उपखण्ड स्तरीय समिति को सूचना की पावती।
3. सीमावर्ती ग्रामों को सूचना पावती।
4. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का दावा फार्म (ख)।
5. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का दावा फार्म (ग)।
6. दावेदारों की सूची।
7. सीमावर्ती सूचना नजरी नक्शा।
8. नजरी नक्शा तैयार ।
9. सीमावर्ती गांव के बुजुर्गों का साक्ष्य ख/ग (गांव बसने ईतिहास)।
10. अधिकारियों के नाम एंव स्थल निरीक्षण सूचना की पावती।
11. सीमावर्ती गांव के वन अधिकार समितियों को स्थल निरीक्षण सूचना की पावती।
12. स्थल निरिक्षण का प्रतिवेदन।
13. सीमावर्ती गांव का अनापति प्रमाण पत्र (सहमती पत्र)।
14. जीपीएस मशीन का नक्शा की सत्यप्रति।
15. वन विभाग का ट्रेस मेप।
16. सरपंच का प्रमाण पत्र।
17. ग्राम की मतदाता सूची सत्यप्रति।
18. सामुदायिक वन अधिकार एंव सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार दावापत्र का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित पारित प्रस्ताव का सत्य प्रतिलिपी।

सचिव
ग्राम पंचायत रावबेड़ा
जनपद पंचायत केशकाल

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम रावबेड़ामारी

सरपंच
ग्राम पंचायत रावबेड़ा
जनपद पंचायत केशकाल

पटेल
ग्राम प्रमुख गांयता
मनीराम ग्राम रावबेड़ा (मारी)
तहसील धनोरा केशकाल
मोबा. 9165566481

सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम रावबेड़ामारी

अध्यक्ष
ग्राम सभा रावबेड़ा
ग्राम पंचायत –रावबेड़ा